अनुक्रमणिका

भाग - 1

प्रस्तावना

भाग - 2

निर्यात के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत

घोषणा से छूट

प्राप्ति ओर भुगतान की विधि

विदेशी करेंसी खाते

डायमंड डॉलर खाते

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए विदेश में कार्यालयों की स्थापना और अचल संपत्ति का अधिग्रहण

निर्यातों की जमानत पर अग्रिम भुगतान

विदेश में व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों के लिए जीआर अनुमोदन

पुनः आयात हेतु माल के निर्यात के लिए जीआर अनुमोदन

आंशिक आहरण/ अनाहरित शेष राशि

परेषण निर्यात

विदेश में वेयरहाउस खोलना/ किराए पर लेना

निर्यातकों द्वारा प्रलेखों का सीधा प्रेषण

सॉफ्टवेयर निर्यात का बीजक

रोका गया/ अपूर्ण पोतलदान

काउंटर व्यापार व्यवस्था

पट्टा, भाड़े आदि पर वस्तुओं का निर्यात

विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

विशेष आर्थिक अंचल द्वारा माल का निर्यात

परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात

मुद्रा का निर्यात

फारफेटिंग

सड़क, रेल अथवा नदी द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात

म्यामार के साथ सीमा व्यापार

राज्य ऋणों का भुगतान

भाग - 3

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत

विशिष्ट पहचान संख्या उद्धृत करना

जीआर/एसडीएफ/ पीपी/ सॉफ़्टेक्स कार्यप्रणाली

जीआर फार्म

एसडीएफ फार्म

पीपी फार्म

निरुद्देश्य सत्यापन
ईईएफसी जमा का प्रमाणीकरण
हवाई माल का समेकन
निर्यातकों द्वारा पोतलदान दस्तावेज़ों की प्रस्तुति में विलंब
फार्मों को छानबीन हेतु जांच सूची
निर्यातकों को दस्तावेज़ लौटाना
पोतमास्टर/ कारोबार प्रतिनिधि को लदान बिल की परक्राम्य प्रति सौंपना
निर्यात बिल रजिस्टर
अतिदेय बिलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई
मूल्य में कमी
अन्य मामलों में बीजक मूल्य में कमी
निर्यात दावे
क्रेता/ परेषिती को बदलना
निर्यातकों द्वारा समय विस्तार और स्वयमेव बट्टे खाते डालना
प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा समय सीमा का विस्तार
प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा बट्टे खाते डालना
ईसीजीसी द्वारा दावों के भुगतान के मामले में बट्टे खाते डालना
अन्य मामलों में बट्टे खाते डालना
मार्गस्थ पोतलदान का खो जाना
निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन (नेटिंग ऑफ)
विशेष आर्थिक अंचलों की इकाइयां
निर्यातों पर एजेंसी कमीशन
निर्यात प्राप्यों की धन वापसी
निर्यातकों की सतर्कता सूची
भाग-4
संलग्नक-1
संलग्नक-2
मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी
फार्म - जीआर, एसडीएफ, पीपी और सॉफ्टेक्स
संलग्नक-3
भाग -5
परिशिष्ट

भाग - I

प्रस्तावना

(i) निर्यात व्यापार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और उसके क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रित करते हैं। भारत से निर्यातों के लिए अनुसरण किए जाने के लिए अपेक्षित नीतियों और क्रियाविधि की घोषणा डीजीएफटी करता है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी प्रचलित विदेश व्यापार नीति और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम और अधिनियमों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुरूप निर्यात लेनदेन कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 के उप-विनियम (1) और उप-विनियम (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने भारत से माल और सेवाओं के निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000, अब से आगे "निर्यात विनियमावली" के रूप में उल्लिखित को अधिसूचित किया है। इन विनियमों को समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(iii) इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेशों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(E) (संलग्नक-1) के ज़रिए अधिसूचित नियमों साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 23/2000 आरबी (संलग्नक 2) के जरिए अधिसूचित विनियमों के साथ पढ़ा जाए ।

(iv) दिनांक 3 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं.फेमा 8/आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारत के बाहर निर्यातों पर निर्यातक ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति दी गई है ।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और निदेशों के अनुसार भारतीय रुपए में निर्यात संविदाओं के इनवायसिंग पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा, विदेशी व्यापार नीति के पैरा 2.40 (सितंबर 1, 2004 - मार्च 31, 2009) के अनुसार, "सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपए में मूल्यांकित किया जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्यों की वसूली मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में की जाएगी। फिर भी, किन्हीं विशेष निर्यातों की जमानत पर निर्यात प्राप्यों की वसूली भी रुपए में की जाएगी

बशर्ते यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) का सदस्य या नेपाल या भूटान से इतर किसी देश में स्थित अनिवासी का मुक्त रूप से परिवर्तनीय वास्त्रो खाते के माध्यम से है।"

(vi) जब तक अन्यथा न दर्शाया गया हो,रिज़र्व बैंक से कोई भी पत्राचार विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से करना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी निवास अथवा कार्य करता है। यदि किसी विशिष्ट कारण के लिए फर्म अथवा कंपनी किसी दूसरे विदेशी मुद्रा विभाग के कार्यालय से व्यवहार करना चाहती है तो वह जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करती है, उससे आवश्यक अनुमोदन हेतु संपर्क कर सकती है।

भाग 2

निर्यात के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत

घोषणा से छूट

जीआर से छूट

मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी के विनियम सं.4 (संलग्न 2) में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए निर्धारित फार्म में माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा की आवश्यकता लागू नहीं होगी। तथापि, निर्यातक, फेमा विनियमों के अनुसार निर्यात आय की वसूली और उसके प्रत्यावर्तन के लिए दायी होंगे।

जीआर से छूट प्रदान करना

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात संवर्धन के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के अधीन निर्यातकों के पिछले तीन वर्ष के औसत वार्षिक आयात के 2 प्रतिशत तक निःशुल्क माल के निर्यात हेतु निर्यातकों से जीआर से छूट के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करें। हैसियतवाले निर्यातकों के लिए सीमा वर्तमान विदेशी व्यापार नीति के अनुसार 10 लाख रुपए अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, है।

(ii) मालों के निर्यात जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन शामिल नहीं है, वहाँ उसके लिए रिज़र्व बैंक से जीआर/पीपी प्रक्रिया में छूट आवश्यक है।

प्राप्ति और भुगतान विधि

(i) निर्यातित मालों के पूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शाने वाली राशि 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 14/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की विधि) विनियमावली 2000 में विनिर्दिष्ट तरीके से किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिए प्राप्त की जानी चाहिए:

(क) बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर या व्यक्तिगत चेकों के रूप में ।

(ख) खरीददार से भारत यात्रा के दौरान विदेशी करेंसी नोटों/ विदेशी करेंसी यात्री चेकों के रूप में।

(ग) खरीददार द्वारा रखी गई एफसीएनआर/एनआरई खाता में धारित निधियों में से भुगतान के रूप में

(घ) खरीददार के अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

टिप्पणी : विदेशी क्रेताओं को उनकी यात्राओं के दौरान बेचे गए मालों के संबंध में भुगतान जब अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के ज़रिए प्राप्त होता है तब प्राधिकृत व्यापारी बैंक उनके नास्त्रो खाते में निधियों की प्राप्ति पर या संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करनेवाला बैंक न होने की स्थिति में , निर्यातक द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान

करनेवाले बैंक से प्राप्त इस आशय के एक प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ही कि विदेशी मुद्रा में यह समतुल्य राशि प्राप्त हुई है, जीआर/एसडीएफ़ (डुप्लिकेट) जारी करें। जहाँ कार्ड जारी करने वाले बैंक / संस्था विदेशी मुद्रा में प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगें वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारत के बाहर किए गए निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए आयातक के क्रेडिट कार्ड के नामे द्वारा भी भुगतान प्राप्त कर सकता है।

(ii) व्यापार लेनदेन निम्नप्रकार से भी निपटाया जा सकता है :

(क) भारत के निवासी व्यक्ति और नेपाल के निवासी व्यक्ति के बीच सभी लेनदेनों का निपटान रुपयों में किया जाए। तथापि, नेपाल को किए जाने वाले मालों के निर्यात के मामले में, जहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ने नेपाल के निवासी आयातक को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान की अनुमति दी है वहाँ इस प्रकार के भुगतानों को एसीयू व्यवस्था के माध्यम से ही भेजा जाए।

(ख) विशेष आर्थिक अंचलों और ईओयू की इकाइयों द्वारा निर्यात भुगतान की प्राप्ति निर्यात किए गए स्वर्णाभूषणों के मूल्य के समतुल्य मणियों और स्वर्णाभूषणों के रूप में, अर्थात् सोना/चांदी/प्लैटिनम से की जा सकती हैं, बशर्ते बिक्री संविदा में उसका प्रावधान किया गया हो और कीमती धातुओं के अनुमानित मूल्य का उल्लेख संबंधित जीआर/ एसडीएफ/ पीपी फार्मो में किया गया हो।

विदेशी मुद्रा खाता

(i) अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ व्यापार मेला के सहभागियों को मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) के विनियम 7(7) द्वारा विदेश में एक अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति है। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेले में वस्तुओं की बिक्री द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को निर्यातक भारत से बाहर ठहरने के दौरान खाते में जमा कर सकते हैं उसका परिचालन कर सकते हैं बशर्ते खाते में शेष राशि को प्रदर्शनी/ व्यापार मेला की समाप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर भारत को प्रत्यावर्तित किया जाता है और संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को सौंपा जाता है।

(ii) बैंकों के पास विदेशी करेंसी खाते खोलने के लिए फार्म ईएफसी में अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों से प्राप्त आवेदनों पर कतिपय नियमों और शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक विचार कर सकता है। भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक की किसी शाखा के पास ऐसा कोई खाता खोलने के लिए आवेदन पत्रों को उस शाखा के जरिए प्रस्तुत करना होगा जिसके यहाँ विदेशी करेंसी खाता रखा जाना है।

यदि खाता विदेश में रखा जाना है तो निर्यातक उस बैंक के पूरे ब्योरे देते हुए जिसके पास खाता रखा जायगा, आवेदन करे।

(iii) समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आरबी के विनियम 7 में निर्धारित शर्तों के अधीन एक भारतीय कंपनी को भी विदेश में स्थापित अपने कार्यालय/ शाखा के नाम पर उक्त कार्यालय/ शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालन के प्रयोजन हेतु प्रेषण द्वारा भारत के बाहर के बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति है।

(iv) विशेष आर्थिक अंचल (एसईज़ेड) स्थित इकाई समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आरबी के विनियम 6(अ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खाते खोल, धारित और रख सकता है।

(v) भारत में निवासी कोई व्यक्ति किसी परियोजना/ सेवा का निर्यातक होने के नाते अक्तूबर 28, 2003 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32 द्वारा जारी ज्ञापन पीईएम में दी गई मानक शर्तों के अधीन भारत के बाहर या भारत में किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है और रख सकता है।

डायमंड डॉलर खाता

(i) भारत सरकार की योजना के तहत खुरदरे, या कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों/ हीरे जडित जवाहरात के क्रय/विक्रय में लगी हुई फर्म और कंपनियाँ, जिनका हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम तीन वर्षों का ट्रैक रिकार्ड है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल से मार्च तक है) के दौरान 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का औसत वार्षिक पण्यावर्त है उन्हें डायमंड डॉलर खातों के ज़रिए अपना कारोबार चलाने की अनुमति है।

(ii) उन्हें अपने बैंकों के पास अधिकतम पांच डायमंड डॉलर खाते खोलने की अनुमति दी जाए।

(iii) पात्र फर्म और कंपनियाँ अनुमति हेतु अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक के ज़रिए मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, व्यापार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को आवेदन कर सकती हैं।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

(i) समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली के विनियत 4 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेंसी (ईईएफ़सी) खाते के रूप में अभिहित विदेशी करेंसी खाता खोल सकता है।

(ii) विदेशी मुद्रा अर्जक की सभी श्रेणियों को अपने विदेशी मुद्रा अर्जन के 100 प्रतिशत तक अपने ईईएफसी में जमा करने की अनुमति है।

(iii) यह खाता ब्याज रहित चालू खाते के रूप में ही रखा जाएगा और प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा ईईएफ़सी खाते में धारित प्रतिभूति शेषों पर किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा-निधि आधारित या गैर निधि आधारित नहीं दी जाएगी।

(iv) पात्र ऋण, सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त आवक प्रेषण का प्रतिनिधित्व करता है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए गए किसी वचन पत्र के अनुसार प्राप्त प्रेषण अथवा जुटायी गई विदेशी करेंसी ऋण अथवा भारत के बाहर प्राप्त निवेश अथवा जिन निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति के अनुसार विशेष दायित्वों को पूरा करने के लिए खाताधारक द्वारा की गई प्राप्ति से इतर है।

(v) घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में इकाई द्वारा विशेष आर्थिक अंचल की इकाई को माल की आपूर्ति के लिए उसके विदेशी मुद्रा खातों में से प्राप्त भुगतान को ईईएफसी खाते में जमा करने के लिए पात्र विदेशी मुद्रा अर्जन माना जाएगा।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी बैंक , समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, अपने निर्यातक ग्राहकों को उनके ईईएफसी खाते में से समुद्रपारीय आयातकों को, बिना किसी सीमा के व्यापार संबंधी ऋण/ अग्रिम देने की अनुमति दे सकते हैं।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातकों को रुपया या विदेशी मुद्रा में ली गई पैकिंग ऋण अग्रिमों को उनके ईईएफसी खाते की शेष राशि में से विदेशी मुद्रा अथवा रुपए के स्त्रोत से, वास्तव में किए गए निर्यात की सीमा तक चुकौती करने की अनुमति दे सकते हैं।

टिप्पणीःईईएफसी योजना के पूरे ब्योरों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आरबी देखें।

विदेश में कार्यालयों की स्थापना और समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण

(i) भारत से बाहर कार्यालय की स्थापना के समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक आरंभ के खर्च के लिए पिछले दो लेखा वर्ष के औसत वार्षिक बिक्री/ आय अथवा पण्यावर्त के पंद्रह प्रतिशत तक अथवा निवल मालियत का पच्चीस प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, के प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

(ii) भारत के बाहर कार्यालय (व्यापारिक/ गैर-व्यापारिक)/ शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के सामान्य कारोबारी परिचालन के प्रयोजन के आवर्ती खर्चे के लिए पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान औसत वार्षिक बिक्री/ आय या पण्यावर्त के 10 प्रतिशत तक प्रेषण भेजा जा सकता है बशर्ते समुद्रपारीय कार्यालय (व्यापारिक/ गैर-व्यापारिक) शाखा/ प्रतिनिधि कार्यालय निम्नलिखित न करे ः

(क) समुद्रपारीय शाखा/ कार्यालय की स्थापना या प्रतिनिधि की तैनाती भारतीय कंपनी के सामान्य बैंकिंग कार्यकलाप को करने के लिए की गई है;

(ख) समुद्रपारीय शाखा/ कार्यालय/ प्रतिनिधि अधिनियम उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में कोई संविदा या करार नहीं करेगा।

(ग) भारत स्थित प्रधान कार्यालय के लिए कोई वित्तीय आकस्मिक देयताएं या अन्यथा सृजित करना।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर विदेश में अतिरिक्त निधियां निवेश करना। लौटाई गई किसी भी निधि को भारत प्रत्यावर्तित किया जाए।

(iii) समुद्रपारीय देश में खाले गए बैंक खाते के ब्योरों की सूचना तत्काल प्राधिकृत व्यापारी बैंक को दी जाए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक, भारत में निगमित कंपनियों को, जिनके समुद्रपारीय कार्यालय है, आरंभिक और आवर्ती खर्चे के लिए उपर्युक्त सीमा के अंदर अपने व्यापार और स्टाफ के रिहाइशी प्रयोजन हेतु भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति दे सकते हैं।

(v) **सॉफ्टवेयर निर्यातक** कंपनी/ फर्म की समुद्रपारीय कार्यालय/ शाखा प्रत्येक **"ऑफ साइट"** संविदा के संविदा मूल्य के **100 प्रतिशत** भारत को प्रत्यावर्तित करे।

(vi) ऑन साइट संविदा लेनेवाली कंपनियों के मामले में, वे ऐसी ऑन साइट संविदाओं के लाभ को उक्त संविदा के पूरा होने के बाद प्रत्यावर्तित करे।

(vii) समुद्रपारीय कार्यालय द्वारा की गई "ऑफ साइट" और "ऑन साइट" संविदाओं के तहत प्राप्तियों और उस पर व्यय और प्रत्यावर्तन को दर्शाते हुए विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण प्राधिकृत व्यापारी बैंक को भेजा जाए।

निर्यात के लिए अग्रिम प्रेषण

मई 3, 2000 के फेमा 23 के विनियम 16 के अनुसार, जहां निर्यातक भारत के बाहर के क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ अथवा बगैर ब्याज के) प्राप्त करता है,निर्यातक का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि -

(i) माल का लदान अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर किया जात है;

(ii) अग्रिम भुगतान पर देय कोई ब्याज हो तो उसकी दर लिबोर+100 आधार बिंदु से अधिक न हो, और

(iii) लदान को सुरक्षा देनेवाले दस्तावेज़, उस प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिसके माध्यम से अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जाता है;

बशर्ते अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष क अंदर निर्यातक द्वारा अंशतः या पूर्णतः लदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अग्रिम भुगतान के उपयोग न किए गए अंश की धनवापसी या ब्याज के भुगतान के लिए प्रेषण नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि से आगे विस्तारित अवधि में माल के लदान का प्रावधान किया जाता है, निर्यातक को रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक है।

(3) विभिन्न शाखाओं/ बैंकों में रखे गए निर्यातक के ईईएफसी खाते में धारित संपूर्ण शेष राशि के उपयोग के बाद ही ईईएफसी खाते में जमा अग्रिम भुगतान से धनवापसी के लिए बाज़ार से विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दी जाए।

टिप्पणी : निर्यात अग्रिम के लिए गारंटी के संबंध में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक डीबीओडी सं.डीआइआर.बीसी.72/13.03.00/2006-07 की सहायता भी ले सकते हैं।

विदेश में व्यापार मेले/ प्रदर्शनी के लिए जीआर अनुमोदन

विदेश में व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने वाले फर्मों/कंपनियों और अन्य संगठनों को भारत के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने और बिक्री हेतु माल ले जाने/ निर्यात करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शनी में नहीं बिकी वस्तुओं को उसी देश में प्रदर्शनी/ व्यापार मेले के बाहर या किसी अन्य तीसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार की बिक्री

बट्टाकृत मूल्य में भी की जा सकती है। प्रति प्रदर्शनी/ व्यापार मेले में प्रति निर्यातक को 5000 अमरीकी डॉलर मूल्य की न बिकी हुई वस्तुओं को उपहार देने की भी अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक, भारत के बाहर व्यापार मेले/ प्रदर्शनी में प्रदर्शन या प्रदर्शन-व-बिक्री के लिए निर्यात वस्तु के लिए जी आर फार्म को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन दे सकते हैं :-

(i) निर्यातक, न बिकी हुई वस्तुओं के भारत में पुनः आयात के लिए संबंधित आयात पत्र को एक माह के भीतर प्रस्तुत करें

(ii) बिक्री की गई वस्तुओं की बिक्री आय भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाती है।

(iii) निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी को निर्यात की गई सभी वस्तुओं के निपटान साथ ही साथ भारत में आय की प्रत्यावर्तन पद्धति के बारे में रिपोर्ट करेगा ।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के लेनदेन उनके आंतरिक निरीक्षक/लेखा परीक्षक द्वारा 100 प्रतिशत लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

पुनः आयात हेतु माल केनिर्यात के लिए जीआर अनुमोदन

(i) ऐसे मामलों में जहां माल के निर्यात मरम्मत/ रखरखाव/ परीक्षण/ कैलिब्रेशन, आदि के बाद पुनःआयात के लिए किया जाता है, प्राधिकृत व्यापारी बैंक जीआर अनुमोदन देने के लिए निर्यातकों के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते निर्यातक भारत से निर्यातित वस्तुओं के पुनः आयात के एक महीने के अंदर संबंधित बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करे।

(ii) जहां परीक्षण के लिए निर्यातित वस्तुएं परीक्षण के दौरान नष्ट हो जाती हैं, प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयात के लिए बिल ऑफ एंट्री के बदले परीक्षण करनेवाली एजेंसी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि परीक्षण के दौरान वस्तुएं नष्ट हो गई हैं।

आंशिक आहरण/ अनाहरित शेष राशि

(i) कतिपय निर्यात व्यापार के कार्यक्षेत्रों में निरीक्षण और विश्लेषण के लिए मालों के आने के बाद तौल, मात्रा आदि सुनिश्चित किए जाने पर उसमें पाए गए अंतरों के समायोजन के बाद भुगतान हेतु अनाहरित बीजक मूल्य के एक छोटे अंश को छोड़ देने की प्रथा है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी बैंक बिलों की बेचान कर सकते हैं, बशर्तें :-

क) पूर्ण निर्यात मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के शर्त के अधीन निर्यात व्यापार के विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अनाहरित शेष राशि को सामान्य समझा जाता हो।

ख) निर्यातक से जीआर/एसडीएफ/पीपी फार्मों की अनुलिपि पर इस आशय का एक वचनपत्र प्राप्त किया जाता है कि वह वसूली हेतु निर्धारित अवधि के अंदर पोतलदान के शेष आगम अभ्यर्पित करेगा/ लेखा-जोखा देगा।

(ii) उन मामालों में जहाँ निर्यातक को अनाहरित शेष के प्रत्यावर्तन के लिए अच्छे प्रयासों के बावजूद व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हुआ, प्राधिकृत व्यापारी बैंक मामले की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने पर यह सुनिश्चित करे कि निर्यातक ने कम से कम मूल्य की, जिसके लिए बिल शुरू में (अनाहरित शेषों को छोड़कर) आहरित किया था अथवा जीआर/पीपी/एसडीएफ़ फ़ार्म पर घोषित मूल्य का 90 प्रतिशत की, जो भी अधिक है, की वसूली की है और पोत लदान की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है।

परेषण निर्यात

i) जब परेषण आधार पर माल का निर्यात किया गया है, तब प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने विदेशी शाखा/संपर्की को पोत लदान दस्तावेजों को भेजते समय यह सूचित करें कि निर्यात के प्राप्यों की वसूली हेतु निर्धारित अवधि के भीतर किसी विशिष्ट तिथि को बिक्री प्राप्यों की सुपुदर्गी के लिए न्यास रसीद /वचन पत्र पर ही उन्हें सुपुर्द करें। इस क्रियाविधि का अनुसरण कतिपय व्यापारों में प्रथा के अनुसार तब भी करना चाहिए जब अनुमानित मूल्य के अंश के लिए बिल निर्यातों पर अग्रिम के रूप में आहरित है। एजेंट/प्रेषिती उतराई प्रभारों गोदाम भाड़ा, लदाई-उतराई प्रभारों आदि, जैसे माल के रसीद, भंडारण और बिक्री पर सामान्यतः किए गए मालों के खर्चों की बिक्री प्राप्यों से कटौती करें और शुद्ध प्राप्यों का निर्यातक को प्रेषण करें।

ii) एजेंट/प्रेषिती से प्राप्त लेखा बिक्री की जाँच प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा की जानी चाहिए। लेखा बिक्री में कटौतियाँ डाक टिकट/केबल प्रभारों, स्टैम्प ड्यूटी आदि जैसे फुटकर मदों के मामले को छोड़कर मूल रूप में बिलों/रसींदों से समर्थित होनी चाहिए।

iii) परेषण आधार पर निर्यातित मालों के मामले में भाड़ा और समुद्री बीमा की व्यवस्था भारत में ही की जाए।

iv) आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक, संतोषजनक कार्यनिष्पादनवाले निर्यातकों को निर्यात प्राप्यों की वसूली हेतु 12 महीने की लंबी अवधि तक किसी भी अनुमत मुद्रा में वित्तपोषित सीआइएस देशों और पूर्व यूरोपियन देशों को परेषण आधार पर निर्यातों के लिए अनुमति दे सकता है।

v) परेषण आधार पर पुस्तकों के निर्यात के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक पोतलदान की तारीख से 360 दिनों तक निर्यात आय

की वसूली की अनुमति देते हुए ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन करे। निर्यातक को बिक्री करार अवधि की समाप्ति पर न बिके हुए शेष पुस्तकों के परित्याग की अनुमति दी जाए। तदनुसार निर्यातक न बिके हुए पुस्तकों के मूल्य को लेखा बिक्री में निर्यात आय से कटौती के रूप में दर्शाए।

विदेश में वेयरहाउस खोलना/ किराये पर लेना

प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेश में वेयरहाउस खोलने/ किराए पर लेने के लिए निर्यातकों से प्राप्त आवेदन पर विचार कर सकते हैं और निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन्हें अनुमति दे सकते हैंः

i) आवेदक का निर्यात बकाया पिछले वर्ष में किए गए निर्यात के 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।

ii) आवेदक का पिछले वर्ष में न्यूनतम निर्यात पण्यावर्त 1,00,000/- अमरीकी डॉलर हो।

iii) वसूली की अवधि गैर-हैसियत धारक निर्यातकों के लिए 180 दिन और हैसियतवाले निर्यातकों के लिए 12 महीने होगी ।

iv) सभी लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नामित शाखा के माध्यम से किए जाएंगे।

v) निर्यातकों को उक्त अनुमति प्रारंभ में एक साल के लिए दी जाए और उसके बाद उपर्युक्त अपेक्षित आवश्यकताओं को आवेदक द्वारा पूरा करने की शर्त पर नवीकरण हेतु विचार किया जा सकता है।

vi) ऐसी अनुमति/अनुमोदन देने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक दिए गए अनुमोदनों का उचित रिकार्ड रखेंगे।

निर्यातकों द्वारा प्रलेखों का सीधा प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक सामान्यतःलदान प्रलेख अपनी विदेशी शाखाओं/ संपर्कियों को तुरंत भेजें। तथापि, वे ऐसे मामलों में लदान प्रलेखों को सीधे प्रेषिती अथवा मालों के अंतिम गंतव्य देश में निवासी एजेंट को भेजें, जहांः

क) निर्यात लदान के पूर्ण मूल्य का अग्रिम भुगतान अथवा अप्रतिसंहरणीय साख पत्र प्राप्त हुआ हो और पूर्वताप्राप्त बिक्री संविदा/साखपत्र में लदान प्रलेखों को सीधे प्रेषिती अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में निवासी अपने एजेंटों को भेजने का प्रावधान हो।

ख) निर्यातक नियमित ग्राहक है और प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक की प्रतिष्ठा और पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड तथा निर्यात प्राप्यों की वसूली हेतु की गई व्यवस्था के आधार पर संतुष्ट है कि अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है।

ग) माल या सॉफ़्टवेयर के संबंध में दस्तावेज निर्यातक द्वारा ऐसी घोषणा पत्र के साथ संलग्न है कि मूल्य पचीस हजार रुपयों से ज़्यादा नहीं है और जीआर/ एसडीएफ़/ पीपी/ सॉफ़्टेक्स फार्म पर घोषित नहीं है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक "हैसियतवाले निर्यातक" (विदेशी व्यापार नीति में यथापरिभाषित) को और विशेष आर्थिक अंचल (एसईज़ेड) में इकाइयों को भारत के बाहर के प्रेषिती को निर्यात दस्तावेज भेजने की अनुमति भी निम्नलिखित नियम और शर्तों के अधीन दे सकते हैं :

क) जीआर फार्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से निर्यात आय प्रत्यावर्तित की गयी है।

ख) निर्यातक ने निर्यात की तिथि से 21 दिन के भीतर जीआर फार्म की प्रतिलिपि प्राधिकृत व्यापारी बैंक को निगरानी हेतु प्रस्तुत की है ।

सॉफ़्टवेयर निर्यात का बीजक

(i) प्रेषणों की श्रृंखला को शामिल करनेवाले दीर्घावधि संविदाओं के संबंध में, निर्यातक, अपने विदेशी ग्राहकों को आवधिक रूप से अर्थात् माह में कम से कम एक बार अथवा विदेशी ग्राहक के साथ किए गए संविदा में दिए गए अनुसार "महत्वपूर्ण स्थिति" पर पहुँचने पर बिल दे और अंतिम बीजक/बिल संविदा की पूरी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर दे। निर्यातक के लिए यह उचित होगा कि वह एक माह में प्राप्त अग्रिम प्रेषणों सहित किसी विशिष्ट विदेशी ग्राहक के लिए बनाए गए सभी बीजकों के लिए एक समेकित सॉफ़्टेक्स फार्म प्रस्तुत करे।

(ii) केवल "एक खेप परिचालन" को शामिल करनेवाले संविदाओं के संबंध में बीजक/बिल प्रेषण की तिथि से 15 दिन के भीतर तैयार किया जाना चाहिए।

(iii) कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर और ऑडिओ /वीडिओ/टेलिविज़न के निर्यात के बारे में निर्यातक घोषणा फार्म सॉफ़्टेक्स में तीन प्रतियों में मूल्यांकन प्रमाणीकरण हेतु एसटीपीआइ/ ईपीज़ेड/एसईज़ेड स्तर पर भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी को बीजक की तिथि से/ उक्त दर्शाए गए अनुसार माह में बनाए गए पिछले बीजक की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करे। नामित अधिकारी उनके पास पंजीकृत इओयू से संबंधित सॉफटेक्स फार्मों को भी प्रमाणित करें।

(iv) उक्त (i) और (ii) के अनुसार विदेशी ग्राहकों पर बनाए गए बीजक भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी द्वारा सॉफ़्टेक्स फार्म में घोषित निर्यात के मूल्यांकन अथवा बीजक मूल्य में किए गए परिणामी संशोधन, यदि आवश्यकता हो तो, के अधीन होंगे।

रोका गया पोतलदान/ अपूर्ण पोतलदान

(i) जब सीमा शुल्क के पास पहले से फाइल किए गए किसी जीआर फार्म द्वारा कवर किए गए पोतलदान का कोई हिस्सा अपूर्ण पोतलदान हो जाता है, तो निर्यातक निर्धारित फार्म और तरीके से सीमा शुल्क को अपूर्ण पोतलदान की सूचना दे । सीमाशुल्क से प्रमाणित अपूर्ण पोतलदान की सूचना प्राप्त करने में विलंब होने के मामले में निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी बैंक को इस आशय का एक वचन पत्र दे कि उन्होंने अपूर्ण पोतलदान की सूचना सीमाशुल्क के पास दायर की है और प्राप्त होते ही वह उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) जहाँ पोतलदान पूरी तरह रोका गया है और पुनः पोत लदान की व्यवस्था होने में विलंब है वहाँ निर्यातक इस प्रयोजन हेतु अनुलिपि में निर्धारित तरीके और निर्धारित फ़ार्म में उपयोग न किए गए जीआर फार्म और पोत लदान बिल की प्रतिलिपि संलग्न करते सीमाशुल्क को सूचना दें।

(iii) सीमाशुल्क यह जाँच करेगा कि पोतलदान सचमुच रोका गया है और सूचना की प्रति सही है यह प्रमाणित करते हुए उसे उपयोग न किए गए जीआर फार्म की दूसरी प्रति के साथ रिज़र्व बैंक को भेजेगा। ऐसी स्थिति में सीमाशुल्क से पहले ही प्राप्त मूल जीआर फार्म को रद्द कर दिया जाएगा। यदि पोतलदान बाद में किया जाता है तो जीआर फार्म का एक नए सेट भरा जाए।

काउन्टर व्यापार व्यवस्था

रिज़र्व बैंक, काउंटर व्यापार प्रस्तावों,जिसमें अमरीकी डॉलर में भारत में खोले गए एस्क्रो खाते के ज़रिए भारतीय पार्टी और विदेशी पार्टी के बीच स्वैच्छिक रूप से की गई व्यवस्था के अनुसार भारत से निर्यातित मालों के मूल्य के बदले भारत में आयातित मालों के मूल्य के समायोजन शामिल है, पर विचार करेगा।

(i) व्यवस्था के तहत सभी आयात और निर्यात, विदेश व्यापार नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों पर होना चाहिए।

(ii) विदेशी निर्यातक/ संगठन एस्क्रो खाता खोलने की अनुमति हेतु आवेदन अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक के ज़रिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(iii) एस्क्रो खाते में जमा शेषों पर ब्याज देय नहीं होगा किंतु अस्थायी रूप से अधिशेष देनेवाले निधियों को एक वर्ष में (अर्थात् 12 महीनों के एक ब्लॉक में) तीन महीनों की कुल अवधि तक अल्पकालीन जमा में रखा जाए और बैंक लागू दर पर ब्याज अदा करें।

(iv) निधि आधारित/अथवा गैर निधि आधारित सुविधाएं देने की अनुमति एस्क्रो खाता में धारित शेषों के लिए नहीं होगी।

पट्टा, भाड़े आदि पर वस्तुओं के निर्यात

पट्टा किराया/ भाड़ा प्रभारों की वसूली और आखिरी पुनः आयात पर विदेशी पट्टाधारी के साथ करारनामा के तहत पट्टा/ भाड़ा आदि आधार पर मशीनरी, उपकरण के निर्यात के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। निर्यातक , आवश्यक अनुमति हेतु निर्यात किए जानेवाले वस्तुओं के पूर्ण ब्योरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करें।

विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

विस्तारित ऋण शर्तों पर मालों के निर्यात करने का इरादा रखने वाले निर्यातक पूरे ब्योरे देते हुए अपने प्रस्ताव अपने बैंकों के ज़रिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

विशेष आर्थिक अंचल द्वारा माल का निर्यात

विशेष आर्थिक अंचलों की इकाइयों को विदेश में नियत कार्य करने और अपने देश से माल निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है :-

(i) प्रसंस्करण / विनिर्माण प्रभार को निर्यात कीमत में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाता है और अंतिम क्रेता द्वारा उसका वहन किया जाता है।

(ii) सामान्य जीआर प्रक्रिया के अधीन, निर्यातक द्वारा पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की इकाइयों को विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों द्वारा उन्हें आपूर्ति किए गए माल के भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे सकते हैं।

परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात

आस्थागित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग मालों के निर्यात और पूर्ण तैयार (टर्न की) परियोजनाओं के कार्यान्वयन और विदेश में सिविल निर्माण संविदाओं को सामूहिक रूप से "परियोजना निर्यात" के रूप में समझा जाता है। विदेशी क्रेताओं को आस्थागित भुगतान शर्तों का प्रस्ताव करनेवाले भारतीय निर्यातक और विदेश में टर्न की /सिविल निर्माण कार्य लेने के लिए ग्लोबल निविदाओं में भाग लेनेवालों को ऐसी संविदाओं के निष्पादन से पहले अधिनिर्णयोत्तर अवस्था में प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक/कार्यदल का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है । "परियोजना निर्यातों" और "सेवा निर्यातों" से संबंधित विनियमों को परियोजना निर्यात से संबंधित संशोधित ज्ञापन (पीईएम) में निर्धारित किया गया है (समय-समय पर यथा संशोधित पीईएम-अक्तूबर 2003)।

परियोजना निर्यातकों और सेवा निर्यातकों को विदेश में उनके लेनदेन को और सुविधाजनक बनाने के लिए पीईएम के पैरा आ.10(i)(च), ई.1(i), ई.3 और ई.4(iv) द्वारा अनुबद्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों को निम्नानुसार आशोधित (देखें ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) सं.26, दिनांक जनवरी 8, 2007) किया गया है :

मशीनरी का अंतर-परियोजना अंतरण

अंतरिती परियोजना से मशीनरी, आदि को बाज़ार मूल्य (अंकित मूल्य से कम नहीं) की वसूली से संबंधित अनुबद्ध को हटा दिया गया है। इसके अलावा, प्रवर्तक प्राधिकृत व्यापारी बैंक (बैंकों)/ एक्ज़िम बैंक/ कार्यकारी दल की संतुष्टि की शर्त पर साथ ही रिपोर्टिंग आवश्यकता की शर्त पर भी किसी देश में निर्यातकों द्वारा कोई अन्य प्राप्त संविदा के कार्यान्वयन के लिए भी वह मशीनरी/ उपकरण का उपयोग कर सकता है।

निधियों का अंतर-परियोजना अंतरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक/ एक्ज़िम बैंक/ कार्यकारी दल निर्यातकों को किसी देश या मुद्रा में निधियों के अंतर-परियोजना अंतरणीयता के साथ उनकी पसंद की मुद्रा/ मुद्राओं में एक से अधिक विदेशी मुद्रा खाता/ खाते खोलने, रखने और परिचालन करने की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक/ एक्ज़िम बैंक कार्यकारी दल अंतर-परियोजना अंतरण की निगरानी करेंगे।

अस्थायी नकदी अधिशेष का विनियोजन

प्राधिकृत व्यापारी बैंक (बैंकों)/ एक्ज़िम बैंक / कार्यकारी दल द्वारा निगरानी के अधीन परियोजना/ सेवा निर्यातक भारत के बाहर अर्जित उनके अस्थायी नकदी अधिशेषों को निम्नलिखित लिखतों/ उत्पादों में विनियोजित कर सकते हैं :

(i) खजाना बिल और एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता या शेष परिपक्वतावाले और जिनकी रेटिंग कम-से-कम स्टैंडर्ड एण्ड पुअर द्वारा A-1/AAA अथवा मूडीज़ द्वारा P-1/Aaa अथवा फिट्च आइबीसीए आदि द्वारा F1/AAA हो, सहित विदेश के अल्पावधि पत्रों मे निवेश,

(ii) भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के भारत के बाहर शाखाओं/ सहयोगी संस्थाओं के पास जमा।

ऑन-साइट सॉफ्टवेयर संविदा के मामले में निधि का प्रत्यावर्तन

सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/ फर्म द्वारा ऑन-साइट संविदा के संबंध में संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता को छोड़ दिया गया है। फिर भी, वे संविदा के पूरा होने के बाद ऑन-साइट संविदा के लाभ

को प्रत्यावर्तित करें (फरवरी 28, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33 के अनुसार)।

मुदा का निर्यात

समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 6/ आरबी-2000 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 के अनुसार, विनियमावी के तहत प्रदान किए गए किसी सामान्य अनुमति के तहत अनुमत सीमा को छोड़कर 5000/- रु. से अधिक मूल्य के भारतीय मुद्रा के किसी निर्यात को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

फारफेटिंग

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निर्यात प्राप्यों के वित्तपोषण के लिए फॉरफेटिंग प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है । अतः एक्ज़िम बैंक/संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यथा अनुमोदित निर्यातक द्वारा देय वचनबद्धता शुल्क/सेवा प्रभारों आदि के प्रेषण की प्राधिकृत व्यापारी बैंक अनुमति दें। इस प्रकार के प्रेषण संबंधित एजेंसी द्वारा यथानुमोदित एक मुश्त राशि में अग्रिम के रूप में अथवा मासिक अंतराल किए जाएं।

सड़क, रेल अथवा नदी द्वारा पड़ोसी देश को निर्यात

निर्यातक जब सड़क, रेल अथवा नदी परिवहन से पड़ोसी देशों को निर्यात करता है तब वे जीआर/एसडीएफ़ फ़ार्मों की मूल प्रतियों को भरने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाएं :

(i) नौकाएं/ देशी यान/ सड़क परिवहन से निर्यातों के मामले में निर्यातक अथवा उसके एजेंट को फ़ार्म उस सीमा के सीमाशुल्क कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे गुजरकर जहाज अथवा वाहन विदेश क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस प्रयोजनार्थ निर्यातक फ़ार्म को जहाज अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति को देने अथवा सीमा पर इसके एजेंट को अग्रेषित करने की व्यवस्था करे जो इसे सीमाशुल्क को प्रस्तुत करेगा।

(ii) रेल से निर्यातों के संबंध में सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कतिपय नामित रेल स्टेशनों पर सीमाशुल्क स्टाफ को तैनात किया गया है। वे इन स्टेशनों पर लादे गए मालों के संबंध में जीआर/एसडीएफ़ फ़ार्म जमा करेंगे ताकि माल विदेशी देश की सीमा पर और किसी औपचारिकताओं के बिना सीधे पहुँच सकें। नामित रेल स्टेशनों की सूची रेल से प्राप्त की जा सकती है। नामित स्टेशनों से इतर स्टेशनों पर लादे गए मालों के संबंध में निर्यातक को बॉर्डर लैन्ड कस्टम स्टेशन पर सीमाशुल्क अधिकारी को जहाँ सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं जीआर/ एसडीएफ़ फ़ार्मों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होगी।

म्यॉमार के साथ सीमा व्यापार

यह भारत और म्याँमार के बीच सीमा व्यापार द्वारा नियंत्रित होता है। वस्तु-विनिमय व्यवस्था के तहत भारत-म्याँमार की सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को स्थानीय रूप से उत्पादित कतिपय विशिष्ट पण्यों के विनिमय की अनुमति दी गई है। वे मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भी व्यापार कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक 16 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.17 द्वारा अनुबद्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करे।

राज्य ऋणों का भुगतान

पूर्ववत यूएसएसआर द्वारा प्रदान किए गए राज्य ऋणों के भुगतान की जमानत पर माल और सेवाओं के निर्यात समय-समय पर यथासंशोधित रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिदेशों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। इसके अलावा, रोमेनिया के साथ भारतीय निर्यातक के काउंटर ट्रेड प्रस्तावों, जिनमें संबंधित पक्षों के बीच स्वैच्छिक रूप से किए गए करार के अनुसार भारत में आयातों के मूल्य पर भारत से निर्यातों के मूल्य का समायोजन नियोजित हो, पर रिज़र्व बैंक अन्य शर्तों के साथ-साथ इस शर्त पर विचार करेगा कि भारतीय निर्यातक, खोलने की अनुमति दी गई एस्क्रौ खाते में जमा की तारीख से छः महीने के अंदर उन निधियों को भारत में रोमेनिया से माल के आयात के लिए उपयोग करता है।

भाग - 3

<u>प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत</u>

विशिष्ट पहचान सं. उदधृत करना

(i) सभी आवेदनों/ रिज़र्व बैंक के साथ पत्राचार में जीआर, पीपी और सॉफ्टेक्स फार्मों में उपलब्ध विशिष्ट पहचान सं. अवश्य उदधृत करें।

एसडीएफ फार्म में घोषणा के मामले में, बंदरगाह कूट संख्या तथा पोतलदान बिल संख्या उदधृत किया जाए।

जीआर/एसडीएफ/ पीपी/ सॉफ्टेक्स कार्यप्रणाली

समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावी, 2000 के विनियम 6 के अनुसार निर्यात घोषणा फार्मों का निपटान निम्न प्रकार किया जाए :

जीआर फार्म

(i) निर्यातक जीआर फार्म दो प्रतियों में भरे और दोनों प्रतियों को लदान बिलों के साथ लदान के बंदरगाह पर सीमाशुल्क अधिकारियों को प्रस्तुत करे ।

(ii) सीमाशुल्क अधिकारी संगत लदान बिल स्वीकृत करने के पश्चात् दोनों प्रतियों पर सतत क्रम संख्या देंगे। सीमाशुल्क के अनुक्रमिक संख्या में दस अंक में पोत लदान के बंदरगाह की कूट संख्या, कैलेंडर वर्ष और 6 अंक चालू क्रमांक शामिल होंगे।

(iii) सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य को जीआर फार्म की दोनों प्रतियों पर उद्दिष्ट स्थान पर प्रमाणित करेंगे और लगाए गए मूल्य भी दर्ज करेंगे।

(iv) वे फार्म की दूसरी प्रति निर्यातक को लौटाएंगे और मूल प्रति रिज़र्व बैंक को भेजने के लिए अपने पास रखेंगे।

(v) निर्यातक जहाज से भेजेजाने वाले मालं के साथ जीआर फार्म की दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी को दुबारा प्रस्तुत करे।

(vi) माल की जांच और दूसरी प्रति पर पोतलदान के लिए पारित मात्रा को प्रमाणित करने के पश्चात् सीमाशुल्क प्राधिकारी उसे निर्यात बिलों के परक्रामण अथवा वसूली हेतु प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को लौटाएगा।

(vii) निर्यात की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, निर्यातक जीआर फार्म में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास संबंधित लदान दस्तावेजों के साथ दूसरी प्रति और बीजक की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि दाखिल करें।

(viii) दस्तावेजों के परक्रामण करने/वसूली के लिए भेजने के पश्चात् प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेन की रिपोर्ट ईएनसी विवरण में उचित आर अनुपूरक विवरणी के कवर में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

(ix) बीजक की प्रतिलिपि के साथ फार्म की दूसरी प्रति, आदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने पास रखें, उन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न करें।

(x) आस्थगित ऋण व्यवस्था अथवा ईक्विटी सहभागिता पर विदेशी संयुक्त उद्यमों अथवा रुपया ऋण व्यवस्था के अंतर्गत किए गए निर्यातों के मामले में रिज़र्व बैंक अनुमोदन की संख्या और तिथि और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र की संख्या और तिथि जीआर फार्म में उचित जगह पर दर्ज करें।

(xi) जीआर फार्म की दूसरी प्रतिलिपि गुम हो जाने अथवा खो जाने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक, सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित जीआर फार्म की दूसरी प्रति स्वीकार कर सकते है।

एसडीएफ

एसडीएफ के मामले में निम्नलिखित प्रणाली का पालन किया जाए :

(i) एसडीएफ़ फार्म दो प्रतियां में (संबंधित लदान बिल के साथ संलग्न किए जाने वाले) संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त को प्रस्तुत की जाए।

(ii) फार्म एसडीएफ़ में घोषणा की जांच और अधिप्रमाणन के बाद सीमाशुल्क आयुक्त लदान पत्र की एक प्रति "विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति" अंकित निर्यातक के सुर्पुद करेंगे जिसमें निर्यात की तिथि से 21 दिन के अंदर प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किया जानेवाला फार्म एसडीएफ संलग्न है।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक द्वारा वसूली/पोत लदान दस्तावेजों के परक्रामण के लिए प्रस्तुत लदान पत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण (ईसी) प्रति और उसके साथ संलग्न फार्म एसडीएफ़ को स्वीकृत करें।

(iv) लदान पत्र और उसके साथ संलग्न एसडीएफ फार्म की ईसी प्रति (उसे संलग्न फॉर्म एसडीएफ) को जीआर फार्म के निपटान पद्धति से निपटाया जाए। बीजक, आदि की प्रति क साथ फार्म की दूसरी प्रति को प्राधिकृत व्यापारी अपने पास रखे और रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न करे।

उन मामलों में, जहाँ ईसीजीसी प्रारंभिक रूप में उसके साथ बीमाकृत निर्यातों के संबंध में निर्यातकों के दावों का निपटान करती है और बाद में क्रेता / क्रेता के देश से उनके द्वारा किए गए निर्यातों के ज़रिए निर्यात प्राप्यों को प्राप्त करती है, वहाँ यथा प्राप्त राशि में निर्यातकों का हिस्सा, बैंक , जिसने पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, के ज़रिए वितरित किया जाता है। ऐसे मामलों में ईसीजीसी पूरे प्राप्यों की प्राप्ति के बाद उस बैंक को, जिसने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र घोषणा फार्म की संख्या, निर्यातक का

नाम, परक्रामण की तिथि, बिल संख्या, बीजक मूल्य और ईसीजीसी द्वारा प्राप्त वास्तविक राशि दर्शाएगा।

पीपी फार्म

पीपी फार्मो का निपटान तरीका वही है जो जीआर फार्मो के लिए है। डाक प्राधिकारी डाक द्वारा मालों के निर्यात की अनुमति तब देगा जब फार्म की मूल प्रति पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक ने प्रतिहस्ताक्षर किया हो। अतः निर्यातक पीपी फार्म प्रतिहस्ताक्षर के लिए पहले प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करे।

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद पीपी फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा कि पार्सल उसकी शाखा अथवा आयात देश के संपर्की बैंक को संबोधित किया जा रहा है और मूल प्रति निर्यातक को लौटाएगा, जो पार्सल के साथ फार्म डाक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक पीपी फार्म की डुप्लीकेट प्रति अपने पास रखेंगे और निर्यातक उस प्राधिकारी व्यापारी बैंक को संबंधित दस्तावेज बीजक की एक अतिरिक्त प्रति के साथ परक्रामण/उगाही हेतु 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(iii) संबद्ध विदेशी शाखा अथवा संपर्की को भुगतान अथवा संबंधित बिल की स्वीकृति पर प्रेषिती को पार्सल वितरित करने का अनुदेश दिया जाए।

(iv) तथापि प्राधिकृत व्यापारी बैंक उन पीपी फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर करें जो प्रेषितों को सीधे संबोधित करने वाले पार्सलों को कवर करते हैं। बशर्तेः-

(क) निर्यात के पूरे मूल्य के लिए निर्यातक के हित में एक अप्रतिसंहरणीय साख पत्र खोला गया है और संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिए सूचित किया गया है ;

अथवा

(ख) पोत लदान का पूर्ण मूल्य निर्यातक से प्राधिकृत व्यापारी बैंक के ज़रिए अग्रिम प्राप्त हुआ है;

(ग) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक की प्रतिष्ठा और कार्य निष्पादन रिकार्ड और निर्यात आगमों की वसूली के लिए की गई व्यवस्था के आधार पर संतुष्ट है कि वह ऐसा कर सकता है।

ऐसे मामलों में, अग्रिम भुगतान /साख-पत्र/ निर्यातक की प्रतिष्ठा, आदि के बारे में प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्रमाणीकरण के ब्योरे उचित अधिप्रमाणन के अधीन फार्म पर प्रस्तुत किए जाएं।

(v) पीपी फ़ार्म पर प्रेषिती के नाम और पते में कोई परिवर्तन होने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा उनकी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए।

निरुद्देश्य सत्यापन

उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं में उनके आंतरिक/ समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा संबंधित दूसरी प्रति फार्मों का निरुद्देश्य सत्यापन करके प्राधिकृत व्यापारी बैंक सुनिश्चित करे कि यदि वसूली न करने या कम वसूली की कोई अनुमति दी गई है तो क्या वह उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों के अंदर है या यथावश्यक रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

ईईएफसी जमा का अभिप्रमाणन

जहां ईईएफसी खाते में निर्यात आगमों के एक हिस्से को जमा किया जाता है वहां निर्यात घोषणा (अनुलिपि) फार्म निम्नानुसार अभिप्रमाणित किया जाए :

"आगमों की . . . . राशि जो निर्यात वसूली का . . . . प्रतिशत का द्योतक है को . . . . के पास निर्यातक द्वारा रखे ईईएफसी खाते में जमा किया गया। "

हवाई माल का समेकन

(i) जहाँ समेकन के अंतर्गत हवाई माल लादा गया है वहाँ हवाई कंपनी के मास्टर एअर-वे बिल समेकित माल एजेंट को जारी करे। माल एजेंट अपना हाउस एअर-वे बिल व्यक्तिगत माल प्रेषक को जारी करेगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक हाउस एअरवेज़ बिलों का परक्रामण तब करेंगे जब संबंधित साख पत्र एअरलाइन कंपनी द्वारा जारी एअरवेज़ बिलों के बदले इन दस्तावेजों की बेचान के लिए विशेष रूप से मुहैया कराता है।

(iii) वे साख पत्र द्वारा समर्थित निर्यात लेनदेनों के संबंध में जहाज कंपनियों अथवा उनके एजेंटों (आइएटीए द्वारा अनुमोदित एजेंटों के स्थान पर) द्वारा जारी फ़ारवर्डर्स कारगो रिसिप्टों (एफ़सीआर) को भी पोत लदान दस्तावेजों की बेचान/वसूली हेतु लदान पत्र के बदले केवल तब स्वीकृत करें जब संबंधित साख पत्र लदान पत्र के बदले में इन दस्तावेजों के बेचान के लिए विशेष रूप से मुहैया कराता है।

(iv) इसके अतिरिक्त विदेशी क्रेता के साथ संबंधित बिक्री संविदा को यह भी मुहैया कराना होगा कि फारवर्डर्स कारगो रसीदों (एफ़सीआर) को पोत लदान दस्तावेज़ के रूप में लदान पत्र के बदले में स्वीकृत किया जाए।

निर्यातकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब

उन मामलों में जहाँ निर्यातक निर्यात से संबंधित दस्तावेजों को निर्यात तिथि से इक्कीस दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत करता है वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंक रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कार्रवाई कर सकता है बशर्ते कि वह विलंब के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट है।

फार्मों की छानबीन हेतु जाँच सूची

प्राधिकृत व्यापारी बैंक सुनिश्चित करे कि-

(i) उनको प्रस्तुत जीआर फ़ार्म की प्रतिलिपि पर वही संख्या है जो मूल पर है जिसे सामान्य रूप से लदान बिल/पोत लदान बिल पर दर्ज किया गया है और दूसरी प्रति को उपयुक्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और अभिप्रमाणित किया गया है।

(ii) एसडीएफ़ फ़ार्म में पोतलदान बिल संख्या वही होनी चाहिए जो लदान बिल पर दर्शायी गयी है।

(iii) लागत बीमा भाड़ा, लागत और भाड़ा आदि संविदाओं के मामले में जिनका भाड़ा गंतव्य स्थान पर अदा किया जाना है, कटौती जीआर/एसडीएफ़ फार्म पर घोषित भाड़े की सीमा अथवा लदान पत्र/हवाई बिल में दर्शायी गयी भाड़े की वास्तविक राशि, जो भी कम है, तक ही की जाती है।

(iv) प्रस्तुत दस्तावेजों में निर्यातित मालों के वर्णन, निर्यात मूल्य अथवा गंतव्य देश के संबंध में कोई महत्वपूर्ण आपसी विसंगतियाँ नहीं पायी जाती हैं ।

(v) जहां निर्यातकों द्वारा क्रेता के खाते पर समुद्री बीमा लिया गया है, यह सत्यापित करने के लिए अदा की गई वास्तविक राशि बीजक और बिल के जरिए क्रेता से प्राप्त की जाती है।

(vi) "पूर्वप्रदत्त भाड़ा" आधार पर जारी लदान पत्र/ हवाई बिल को वहाँ स्वीकृत करें जहाँ विक्री संविदा जहाज़ तक निःशुल्क, पोत तक निःशुल्क आधार आदि पर है बशर्ते भाड़े की राशि बीजक और बिल में शामिल की गयी है।

(vii) उन मामलों में जहाँ दस्तवेजों की बेचान निर्यातक से इतर किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही है जिसने निर्यात से संबंधित प्रेषण के संबंध में जीआर/पीपी/एसडीएफ़/सॉफ़्टेक्स फ़ार्म पर हस्ताक्षर किया हो तो प्राधिकृत व्यापारी दस्तावेजों की बेचान विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 12 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के पश्चात् करें।

(viii) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित मूल्य में घट-बढ़, जो निर्यात दस्तावेजों में दिखते हैं वे संविदा की शर्तों की विभिन्नता से उत्पन्न

होते हैं, प्राधिकृत व्यापारी बैंक परिकलनों के अंकगणितीय विशुद्धता और विचाराधीन संविदाओं की शर्तों के अनुपालन के बाद दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण पर उन्हें स्वीकृत कर सकते है। कुछ ऐसे उदाहरण (जहां सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित मूल्य और दस्तावेजों में दिखाए गए मूल्य अलग हो सकते हैं) यहां नीचे एि गए हैं :

(क) निर्यात वसूली योग्य मूल्य जहाँ लागत बीमा भाड़ा अथवा लागत और भाड़ा संविदाओं में संविदा समाप्ति के बाद कोई भाड़ा अंशतः या पूर्णतः बढ़ जाता है, जैसे, कतिपय परिस्थितियों में ज़ीआर/एसडीएफ़ फ़ार्म पर, सीमाशुल्क द्वारा मूलतः घोषित/स्वीकृत से अधिक हो तो क्रेताओं द्वारा वहन करने के लिए सहमति हो अथवा जहाँ संविदा की करेंसी के तत्पश्चात् अवमूल्यन के परिणामस्वरूप वहाँ क्रेताओं की सहमति मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई हो।

(ख) निर्यात व्यापार के कतिपय कार्यक्षेत्र में मूल्य का अंतिम निपटान पोत लदान के समय पर आहरित नमूनों की गुणवत्ता विश्लेषण के परिणाम पर निर्भर करता है परंतु ऐसे विश्लेषणों के नतीजे केवल पोत लदान करने के बाद ही उपलब्ध होते हैं। कभी कभार संविदाएं पण्य उपभोक्ता व्यापार प्रथा के अनुरूप मालों का विलंब से पोत लदान हेतु जुर्माना के भुगतान के लिए मुहैया कराते हैं। इन मामलों में जहाँ निर्यातक संविदा मूल्य के आधार पर पूरे निर्यात मूल्य सीमाशुल्क को घोषित करते हैं, वसूली/ संग्रहण हेतु बीजकों को पोत लदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करते हैं वहाँ नमूनों के विश्लेषण के नतीजे अथवा विलंब पोत लदान जुर्माना, जो भी मामला हो, को ध्यान में लेने के बाद अलग मूल्य दिखाई दे सकते हैं।

(ग) समुद्री अथवा हवाई मार्ग से किए गए निर्यात के संबंध में बिल जो व्यापार छूट के कारण जीआर/ एसडीएफ़ पर घोषित मूल्य से कम होते हैं, बेचान अथवा संग्रहण के लिए केवल तब स्वीकृत करें जब छूट को निर्यातक ने पोतलदान के समय संबंधित जीआर/एसडीएफ फार्म पर घोषित किया है और सीमाशुल्क ने उसे स्वीकृत किया है।

निर्यातकों को दस्तावेज लौटाना

वसूली, संग्रहण हेतु प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को एक बार प्रस्तुत किए गए जीआर/ एसडीएफ़/ पीपी फ़ार्मों की अनुलिपियाँ और पोतलदान दस्तावेज, उनकी गलतियों के सुधार तथा पुनः प्रस्तुतीकरण की स्थिति को छोड़कर सामान्यतः निर्यातकों को नहीं लौटाया जाना चाहिए।

पोतमास्टर/कारोबार प्रतिनिधि को लदान बिल की परक्राम्य प्रति सौंपना

प्राधिकृत व्यापारी बैंक लदान पत्र की एक परक्रामण प्रति वाहक पोत के मास्टर अथवा कारोबार प्रतिनिधि को कतिपय बंदरगाह विहीन देशों को निर्यात के संबंध में सुपुर्द कर सकते हैं यदि लदान किसी अप्रतिसंहरणीय साख पत्र द्वारा रक्षित है और दस्तावेज साख पत्र की शर्तों, जो अन्य बातों के साथ साथ, ऐसे वितरण की शर्त लगाती है, के अनुरूप पक्का है।

निर्यात बिल रजिस्टर

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात बिल रजिस्टर भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक फ़ार्म में बनाए रखें। जीआर/एसडीएफ/पीपी फार्म संख्या ,भुगतान की देय तिथि और आर अनुपूरक विवरणी, जिसके साथ लेनदेनों को कवर करनेवाला ईएनसी विवरण रिज़र्व बैंक को भेजा गया था, उपलब्ध होना चाहिए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के निर्यात लेनदेनों को निर्यात बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया है और कैलेण्डर वर्ष आधार पर (अर्थात् जनवरी से दिसम्बर तक) बिल संख्याएं दी गई हैं।

(iii) रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत ईएनसी विवरण और अन्य संबंधित विवरणियों में बिल संख्या दर्ज की जाए।

अतिदेय बिलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक बिलों की वसूली पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखे और उन मामलों में,जहाँ बिल भुगतान के लिए देय तिथि अथवा निर्यात की तिथि से छह माह के परे बकाया हो तो तत्काल मामले की ओर संबंधित निर्यातक का ध्यान आकर्षित करे। यदि निर्यातक छह माह के अंदर आगमों की सुपुर्दगी में चूक करता है अथवा छह माह के परे अवधि विस्तार मांगता है तो मामले को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, जहाँ संभव हो वहाँ प्राप्यों की वसूली में हुए विलंब का कारण बताते हुए, रिपोर्ट करे।

(ii) जीआर/ एसडीएफ़ /पीपी फ़ार्मों की अनुलिपि को प्राधिकृत व्यापारी बैंक, अनाहरित शेषों के मामले को छोड़कर, तब तक अपने पास रखें जब तक कि पूरे प्राप्यों की वसूली न कर ली जाए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातकों के पास निर्यात बकायों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई लगातार और जोरशोर से करें ताकि चूककर्ता निर्यातकों के खिलाफ कार्रवाई में कोई विलंब न हो। प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निर्यात आगमों की वसूली के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में किसी ढिलाई को रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा जिससे फेमा, 1999 के तहत जुर्माना हो सकता है।

(iv) निर्यातकों को, जिन्हें विदेश व्यापार नीति के अनुसार "हैसियतवाले धारक " प्रमाणित किया गया है, लदान की तिथि से **12 महीने की अवधि** के भीतर निर्यात आय की वसूली और पूर्ण मूल्य का प्रत्यावर्तन की अनुमति दी जाती है।

(v) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क, सॉफ्टवेअर तकनीकी पार्क और बॅायोटेक्नॉलजी पार्क योजनाओं के अधीन स्थापित इकाइयों को सितंबर 1, 2004 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात के लिए निर्यात की तारीख से **12 महीने की अवधि** के अंदर निर्यात प्राप्यों के पूर्ण मूल्य की वसूली और उसे प्रत्यावर्तन की अनुमति है।

(vi) निर्यात आय की वसूली के लिए नियत बारह महीने की अवधि अथवा विस्तारित अवधि की शर्त विशेष आर्थिक अंचल की इकाई के लिए अब लागू नहीं है। तथापि, विशेष आर्थिक अंचल की इकाई उपर्युक्त जीआर/ पीपी/ सॉफ्टेक्स निर्यात प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक छमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को फ़ार्म एक्सओएस में समेकित विवरण प्रति वर्ष जून और दिसम्बर की समाप्ति पर निर्यात की तिथि से छह माह से अधिक बकाया सभी निर्यात बिलों के ब्योरे देते हुए प्रस्तुत करे। विवरण तीन प्रतियों में संबंधित छमाही की समाप्ति से पंद्रह दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाए।

मूल्य में कमी

कभी- कभी निर्यातक मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के लिए विदेशी क्रेताओं को नकद छूट देने के कारण बीजक मूल्य में कमी के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक से संपर्क करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात संविदा में लगाई गई ब्याज दर पर अथवा जहाँ संविदा में ब्याज नहीं लगाया गया है वहाँ बीजक मुद्रा के प्राइम दर/लिबोर पर परिकलित करते हुए मीयादी बिलों की समाप्त न हुई अवधि पर आनुपातिक ब्याज की राशि की सीमा तक नकद छूट की अनुमति दे सकते हैं।

अन्य मामलों में बीजक मूल्य में कमी

(i) बिल बेचान किए जाने या संग्रहण के लिए भेजने के बाद यदि उसकी राशि किसी कारण कम करना चाहते हैं तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसी कमी के लिए अनुमोदन दे सकते हैं, यदि वे अनुरोध की प्रामाणिकता से संतुष्ट हैं, बशर्ते :

क. कमी बीजक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

ख. आधार मूल्य शर्तों के अधीन यह पण्यों के निर्यात से संबंधित न हो।

ग. निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सावधानी सूची में नहीं है, और

घ. निर्यातक को आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन यदि उसने लिया हो, तो उसे अभ्यर्पित करने के लिए सूचित किया जाता है।

(ii) निर्यातक के तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए निर्यात व्यापार में रहने के मामले में किसी प्रतिशत सीमा के बगैर उक्त शर्तों ,साथ ही साथ उनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाए जाने की स्थिति के अधीन,अर्थात निर्यात बकाया पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है,बीजक मूल्य में कटौती की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत निर्यात वसूलियों के लिए बकाया निर्यात बिलों के प्रतिशत का परिकलन करने के उद्देश्य हेतु बाहरी समस्याओं का मुकाबला करने वाले देशों को किए गए निर्यातों के बकायों को संबंध में ध्यान न दिया जाए बशर्ते क्रेताओं द्वारा भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया गया है।

निर्यात दावे

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक आवेदन पर निर्यात दावों का प्रेषण कर सकते हैं बशर्ते संबंधित निर्यात आगमों की पहले ही वसूली करके उसे भारत को प्रत्यावर्तित किया गया है और निर्यातक रिज़र्व बैंक की सावधानी सूची में नहीं है।

(ii) प्रेषणों के ऐसे सभी मामलों में निर्यातक को यह सूचित किया जाना चाहिए कि आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन, यदि उसने प्राप्त किया हो तो, उसे लौटाए।

क्रेता/ परेषिती को बदलना

रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता वहाँ नहीं होगी जहाँ मालों को जहाज पर लादने के बाद उन्हें मूल क्रेता द्वारा चूक करने की स्थिति में मूल क्रेता से इतर किसी क्रेता को अंतरित किया जाना है बशर्ते मूल्य में कटौती, यदि कोई हो तो, वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है और निर्यात आगमों की वसूली में निर्यात की तिथि से छह माह की अवधि से अधिक विलंब नहीं होता है।

निर्यातकों द्वारा समय विस्तार और स्वमेय बट्टे खाते डालना

एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्य निर्यात प्राप्तियों के लिए सभी निर्यातकों (स्टेटस होल्डर सहित) को बकाया निर्यात देयों को बट्टे खाते डालने (बीजक मूल्य में कटौती सहित), वसूली की निर्धारित अवधि को 180 दिन अथवा यथा लागू और आगे की अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दी गई है, बशर्ते

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऐसे निर्यात (बीजक मूल्य में कटौती सहित) और वसूली के लिए दिए गए बिलों का सकल मूल्य निर्यात प्राप्यों के 10% से अधिक न हो तथा

(ii) ऐसे निर्यात बिल प्रवर्तन निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच के अधीन न हो।

(i) एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ निर्यात लेनदेन करनेवाले निर्यातक, प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं अर्थात् स्वमेव बट्टे खाते डालने के लिए 10 प्रतिशत की सीमा (बीजक मूल्य के कमी सहित) तथा निर्यात प्राप्तियों की वसूली के लिए अवधि विस्तार उस प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास वसूली के लिए दर्ज निर्यात बिल पर लागू होगा।

(ii) बैंकों के किसी संघ अथवा बहुविध बैंकों के अधीन परिचालन करनेवाले निर्यातक भी सभी बैंकों के साथ सकल आधार पर 10 प्रतिशत की सीमा की गणना कर सकते हैं बशर्ते संघ का अग्रणी अथवा बहुविध बैंकिंग के मामले में नोडल बैंक सभी बैंकों की ओर से निर्यात के वार्षिक कार्य निष्पादन के सत्यापन का कार्य करने का वचन देता है।

(iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक महीने के भीतर निर्यातक प्राप्य, वसूले गए, नहीं वसूले गए निर्यात आय के ब्योरे देते हुए एक विवरण (संलग्नक 3) संबंधित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करे।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक से अपेक्षित है कि वह अपने रिकार्ड से विवरण का सत्यापन करे और कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्यातक के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वयं की 10 प्रतिशत सीमा विस्तार, बट्टे खाते डाला (बीजक मूल्य में कमी सहित) और वसूली न होना जैसे मामलों में निर्यातक ने कैलेंडर वर्ष समाप्त होने के पहले बट्टे खाते डालने बीजक मूल्य में कमी अथवा अवधि विस्तार 10 प्रतिशत सीमा से अधिक के लिए जैसा भी मामला हो, आवश्यक अनुमोदन मांगा है। वित्तीय वर्ष में प्राप्य निर्यात बिल जो उस वर्ष में प्राप्य है जिसके लिए निर्यातक ने स्वयं वसूली अवधि (10 प्रतिशत सीमा के अंदर) बढ़ाई है अथवा प्राधिकृत व्यापारी बैंक से अवधि विस्तार मांगा है किन्तु कैलेंडर वर्ष के अंत तक वसूली नहीं हो पाई है, को अगले वर्ष में प्राप्य निर्यात प्राप्यिों के लिए गिना जाएगा।

(v) निर्यातक द्वारा इस अपेक्षा की पूर्ति न किए जाने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी बैंक तुरंत उक्त निर्यातक को सूचित करे कि वह 10 प्रतिशत सीमा से अधिक की वसूली न होने के संबंध में अवधि

विस्तार/ बीजक मूल्य में कमी/ बट्टे खाते डालने की अनुमति ले, ऐसा न होने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक एक महीने के अंदर स्वयं बट्टे खाते डालना/ अवधि विस्तार की इस सुविधा को वापस लेने के बारे में निर्यातक को सूचित करे और उसकी सूचना रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी दे।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा समय सीमा का विस्तार

(i) उन मामलों में जहाँ निर्यातक लदान प्राप्यों की वसूली निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों से वसूली नहीं कर सकता, लेकिन यह अपेक्षा रखता है कि अगर उसे वसूली की अवधि में बढ़ोत्तरी मिल जाए तो वह वसूली कर सकता है तो निम्नलिखित मद (ii)के तहत न आनेवाले मामलों में वह आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ (दो प्रतियों में) प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को फ़ार्म ईटीएक्स में आवेदन करें।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निर्यात के बीजक मूल्य पर ध्यान दिए बगैर भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना निर्यात की तिथि से 6 माह तक अवधि विस्तार की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी हैः

क) बीजक द्वारा कवर किए गए निर्यात लेनदेन प्रवर्तन निदेशालय/ केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य जांच एजेंसियों के जांच के तहत नहीं है।

ख) प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यातक उसके नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर के कारण वश निर्यात प्राप्यों की वसूली नही कर सकता है ।

ग) निर्यातक ने इस आशय का वचनपत्र दिया है कि वह निर्यात प्राप्यों की वसूली विस्तारित अवधि में करेगा।

घ) **निर्यात की तारीख** से एक वर्ष से अधिक के अवधि विस्तार तभी विचार किया जाएगा जब की निर्यातक का कुल निर्यात बकाया दस मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान औसत निर्यात वसूली के दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,से अधिक न हो।

ङ) निर्यात की तारीख से छः महीने से अधिक के बकाया सभी निर्यात बिलों को एक्सओएस विवरण में रिपोर्ट किया जाए। फिर भी, जहां प्राधिकृत व्यापारियों ने अवधि विस्तार दिया है, वहां जिस तारीख तक विस्तार दिया गया है उसे "टिप्पणी" स्तंभ में दर्शाया जाए।

च) यदि निर्यातक ने आयातक के खिलाफ विदेश में मुकदमा दायर किया हो तो एक लाख अमरीकी डालर की सीमा वहां लागू नहीं होगी।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा बट्टे खाते डालना

अधिकतम प्रयासों के बावजूद बकाया निर्यात देयों की वसूली न कर पानेवाले निर्यातक, उन प्राधिकृत व्यापारी बैंक, जिन्होंने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की, वसूल न किए गए अंश को बट्टे खाते डालने का अनुरोध करते हुए समुचित समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ संपर्क करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे अनुरोधों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत कर सकते हैं :

क) संबंधित राशि एक वर्ष अथवा अधिक के लिए बकाया बनी हुई है ।

ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा अनुमत बट्टे खाते की समग्र राशि संबंधित निर्यातक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिए वसूले गए कुल निर्यात प्राप्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

ग) प्राप्यों की वसूली के लिए निर्यातक ने जो सभी प्रयास किए हैं उसके समर्थन में संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

घ) निम्नलिखित किसी भी श्रेणी में आनेवाले मामले :

i) विदेशी क्रेता को दिवालिया घोषित किया गया है और आधिकारिक परिसमापन से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है कि वहां निर्यात प्राप्यों की वसूली की कोई संभावना नहीं है।

ii) विदेशी क्रेता का काफी समय से पता नहीं लगा है।

iii) आयातित देश में बंदरगाह/ सीमाशुल्क/ स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्यातित माल नीलाम अथवा नष्ट कर दिया गया है।

iv) वसूल न हुई राशि का भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक विदेशी चैम्बर अथवा उसी प्रकार के संगठन के हस्तक्षेप के जरिए यदि निपटान किया गया हो तो वह शेष प्राप्य को दर्शाती है।

v) वसूल न हुई राशि बकाया और निर्यातक द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बावजूद निर्यात बिल का (बीजक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं) आहरित नहीं हुई शेष को दर्शाती है और निर्यातक द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद वह राशि वसूली नहीं की जा सकी है।

vi) कानूनी कार्रवाई के लिए आने वाली लागत निर्यात बिल की वसूल न हुई राशि के लिए विषमपूर्ण होना अथवा जहाँ निर्यातक विदेशी क्रेता के खिलाफ न्यायिक मामला जीत जाने पर भी न्यायालय निर्णय उसके नियंत्रण से परे कारणों से निष्पादित नहीं कर पाए।

vii) साख पत्र मूल्य और वास्तविक निर्यात मूल्य के अंतर अथवा भाड़ा प्रभारों के अनंतिम और वास्तविक के बीच अंतर हेतु बिलों के आहरण किए गए थे किंतु राशि विदेशी क्रेता से बिलों के अनादर के परिणामस्वरूप वसूली नहीं हो पाई और वहाँ वसूली का कोई आसार नहीं है।

ङ) मामला किसी लंबित सिविल अथवा आपराधिक मुकदमे का मुद्दा नहीं है।

च) निर्यातक प्रवर्तन निदेशालय अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा ऐसे किसी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूचना में नहीं आता है।

छ) निर्यातक ने आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहनों को, यदि कोई हो, संबंधित पोत लदानों के संबंध में लिया गया है सुर्पुद किया है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक संबंधित बिलों को बट्टा खाता डालने की अनुमति देने से पहले लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों के सुपुर्दगी के साक्ष्य दस्तावेज प्राप्त करे।

जहाँ बट्टे खाते द्वारा कवर किए गए जीआर/एसडीएफ़ /पीपी. फ़ार्म पर वसूली की जाने वाली कोई और राशि नहीं है तो प्राधिकारी व्यापारी बैंक उसकी अनुलिपि फार्म को निम्नानुसार प्रमाणित करें :

" -- रुपये की राशि को

(राशि शब्दों और अक्षरों में)

प्राधिकृत व्यापारियों को निदेशों के पैरा इ 18 के अनुसार बट्टे खाते डालना

अनुमत।

तारीख : . . . .

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और स्टैम्प

(iv) विदेश व्यापार नीति में यथापरिभाषित हैसियतवाले निर्यातक और अपने उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात करनेवालेऔर डीजीएफ़टी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) द्वारा यथामान्यताप्राप्त विनिर्माता निर्यातकों को बकाया निर्यात बिलों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके औसत वार्षिक वसूलियों की 5 प्रतिशत अथवा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्य निर्यात प्राप्यों का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक बट्टे खाते डालने की अनुमति दी जाए। यह सीमा एक वर्ष में संचित रूप में और निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी।

क. निर्यातकों के संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को किसी सनदी लेखाकार से यह दर्शाते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि-

(i) पिछले तीन वित्तीय वर्ष में निर्यात वसूली और वर्ष के दौरान पहले से ही ली गई बट्टे खाते डाली गई राशि भी, यदि कोई हो।

(ii) बट्टे खाते डाले जाने वाले संबंधित जीआर/एसडीएफ़ संख्याएं और बिल सं., बीजक मूल्य, निर्यातित पण्य, निर्यात देश।

(iii) निर्यात लाभ, यदि कोई निर्यातक द्वारा लिए गए हैं, उन्हें सुर्पुद किया गया है।

ख. निम्नलिखित "बट्टे खाते" सुविधा हेतु पात्र नहीं है :

i. विदेशी क्रेता ने स्थानीय मुद्रा में निर्यात के मूल्य को जमा किया है किन्तु उक्त राशि का प्रत्यावर्तन की अनुमति देश के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकारियों ने नहीं दी है, ऐसे बाह्य समस्याओंवाले देशों को किए गए निर्यात।

ii. जीआर/एसडीएफ़ फार्मों जो प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि जैसे ऐजेंसियों द्वारा अन्वेषण के अधीन है साथ ही साथ बकाया बिल भी जो सिविल/आपराधिक याचिकाओं के मामलों के अधीन है।

ग. प्राधिकृत व्यापारी बैंक बट्टे खाते डालने की अनुमति देने के बाद अनुलिपि निम्नानुसार प्रमाणित करें :-

" -- रुपये की राशि को बट्टे खाते

(राशि शब्दों और अक्षरों में)

डालना 4 अप्रैल 2001 के ए पी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30 के अनुसार अनुमत।"

तारीख :

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और स्टैम्प

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक बट्टे खाते आदि के ब्योरे दर्शाते हुए फ़ार्म ईबीडब्ल्यू में एक विवरण रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह कार्य करता है, 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होनेवाले प्रत्येक अर्ध वर्ष में संबंधित अर्ध वर्ष की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

(v) प्राधिकृत व्यापारी बैंक एक प्रणाली तैयार करें जिसके तहत उनके आंतरिक निरीक्षकों अथवा लेखा परीक्षकों द्वारा निरुद्देश्य किए गए नमूना जांच/ बट्टे-खाते डाल गए बकाया निर्यात बिलों/ प्रतिशत जांच दिए जाएं।

ईसीजीसी द्वारा दावों के भुगतान के मामले में बट्टे खाते डालना

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक ईसीजीसी से प्राप्त दस्तावेज़ी साक्ष्य, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि बकाया बिलों से संबंधित दावों का निपटान किया जा चुका है, के साथ निर्यातक से आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डाल दे और एक्सओएक्स विवरण से उसे हटा दें।

(ii) ऐसे बट्टे खाते ऊपर दर्शाए अनुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिबंधित नहीं होंगे।

(iii) प्रोत्साहनों का अभ्यार्पण यदि कोई हो तो, ऐसे मामले विदेश व्यापार नीति में दिए गए अनुसार किया जाएगा।

(iv) ईसीजीसी द्वारा रुपए में निपटाए गए दावे विदेशी मुद्रा में निर्यात वसूली नहीं समझे जाएंगे।

अन्य मामलों में बट्टे खाते डालना

उपर्युक्त अनुदेशों में शामिल नहीं हुए अन्य मामलों में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

मार्गस्थ पोत लदान का खो जाना

जब भारत से पोत लदान जिसके लिए भुगतान साख पत्र के अधीन बिलों की बेचान से या अन्यथा से प्राप्त नहीं हुआ है मार्गस्थ में गुमशुदा है तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि गुम हो जाने की बात मालूम होते ही बीमा का दावा किया जाता है।

जीआर/एसडीएफ़/पीपी की अनुलिपि प्रति रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित विवरणों के साथ भेजनी चाहिए :

क) राशि जिसके लिए पोत लदान का बीमा किया गया था;

ख) बीमा कंपनी का नाम और पता;

ग) स्थान जहाँ दावा देय है।

उन मामलों में, जहाँ दावा विदेश में देय है, प्राधिकृत व्यापारी बैंक उसके विदेशी शाखा/संवाददाता के माध्यम से गुमशुदा पोत लदान पर प्राप्य दावे की पूर्ण राशि की वसूली के बाद ही जीआर/एसडीएफ़/पीपी फ़ार्म की अनुलिपि प्रति भेजें।

प्राप्त दावे की राशि के लिए एक प्रमाणपत्र अनुलिपि प्रति के पृष्ट भाग में देना चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि मार्गस्थ में गुमशुदा पोतलदान के दावों, जिनका विदेश में अंशिक रूप से निपटान सीधे नौवहन कंपनियों/एयरलाइंस द्वारा वाहक देयता के अधीन भी किया जाता है, की राशियों को भी निर्यातक द्वारा भारत प्रत्यावर्तित किया जाता है।

निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन

प्राधिकृत व्यापारी बैंक विशेष आर्थिक अंचलों में स्थित इकाइयों के निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतानों के साथ समायोजन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं :-

(नेटिंग ऑफ़) - विशेष आर्थिक अंचलों की इकाइयाँ

(i) आयात भुगतानों के बदले निर्यात प्राप्तियों के समायोजन उसी भारतीय कंपनी और समुद्रपारीय क्रेता/आपूर्तिकर्ता (द्विपक्षीय समायोजन) के लिए हो और समायोजन विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों के तुलनपत्र की तारीख को किया जाए।

(ii) निर्यात किए गए माल का विवरण जीआर(ओ) फार्मों /डीटीआर में, जैसा भी मामला हो, दिया जाए जबकि आयात किए गए माल / सेवाओं को फार्म ए1/ए2, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया जाए। संबंधित जीआर/एसडीआर फार्मों को नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा पूर्ण किया गया तभी माना जाएगा जबकि संपूर्ण आय का समायोजन किया गया हो/ संपूर्ण आय प्राप्त हो गई हो।

(iii) विक्री और खरीद दोनों प्रकार के लेनदेन को एफईटी-ईआरएस के अंतर्गत आर-विवरणी में अलग-अलग रिपोर्ट किया जाए।

(iv) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) देशों के साथ किए गए निर्यात/ आयात लेनदेनों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।

(v) सभी संगत दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को प्रस्तुत किए जाएं जोकि लेनदेन के संबंधित सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

निर्यातों पर एजेंसी कमीशन

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कमीशन की भुगतान की अनुमति प्रेषण या बीजक मूल्य से कटौती के जरिए दे सकते हैं। एजेंसी कमीशन पर प्रेषण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएः

क) कमीशन की राशि जीआर/एसडीएफ़/पीपी/सॉफ़्टेक्स फ़ार्मों पर घोषित की गई हो और सीमा शुल्क प्राधिकारी या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार/ ईपीज़ेड प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत किया गया हो। जिन मामलों में कमीशन जीआर/ एसडीएफ़/ पीपी/ सॉफ़्टेक्स फ़ार्मों पर घोषित नहीं किया हो, उन मामलों में उसके प्रेषण की अनुमति निर्यात घोषणा फ़ार्म पर कमीशन की घोषणा न करने के संबंध में निर्यातक द्वारा दिए गए कारणों के बारे में संतुष्ट होने पर दे सकते हैं बशर्ते कमीशन के भुगतान हेतु निर्यातक और/अथवा हिताधिकारी के बीच वैध करार/लिखित समझौता हुआ हो।

ख) संबंधित पोतलदान किया जा चुका है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारतीय निर्यातकों द्वारा अमरीकी डॉलर में नामित एस्क्रो खातों के जरिए काउंटर ट्रेड व्यवस्था के तहत कवर किए गए उनके निर्यातों के संबंध में कमीशन का भुगतान हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैंः

क) कमीशन का भुगतान उक्त पैरा में (क) और (ख) में निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करता है ।

ख) कमीशन स्वयं एस्क्रो खाता धारकों के लिए देय नहीं है ।

ग) कमीशन को बीजक मूल्य से घटाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

(iii) भारतीय भागीदारियों द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं साथ ही रुपया ऋण मार्ग, इसमें चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत तक के कमीशन शामिल नहीं है, के तहत निर्यात में भी ईक्विटी सहभागिता के रूप में किए गए निर्यातों पर कमीशन का भुगतान निषिद्ध है।

निर्यात प्राप्यों की धन वापसी

प्राधिकृत व्यापारी बैंक जिनके जरिए मूलरूप से आगम प्राप्त हुए थे, अब से आगे भारत से निर्यात किए गए और निकृष्ट गुणवत्ता आदि के कारण भारत में पुनः आयातित माल के निर्यात प्राप्यों की धन वापसी के अनुरोध पर विचार करें। ऐसे लेनदेन की अनुमति देते समय, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है :

(i) निर्यातक के पिछले कार्य निष्पादन रिपोर्ट के संबंध में पर्याप्त कर्मठता का पालन करना;

(ii) लेनदेनों की वास्तविकता का सत्यापन;

(iii) डीजीएफटी/ सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र निर्यातक से प्राप्त करें कि संबंधित आयात पर निर्यातक ने कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया है अथवा संबंधित निर्यात के लिए लिए गए आनुपातिक प्रोत्साहन, यदि कोई हो, को लौटा दिया गया है;

(iv) निर्यातक से इस आशय का वचन पत्र प्राप्त करना कि प्रेषण की तारीख से तीन महीनों के अंदर माल का वापस आयात किया जाएगा; और

(v) सुनिश्चित करना कि सामान्य आयातों पर यथा लागू सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है।

निर्यातकों की सतर्कता सूची

(i) जब कभी निर्यातकों को "निर्यात विनियमों" (संलग्नक 2) के विनियम 17 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सतर्क किया जाएगा, उसकी सूचना प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भी दी जाएगी। यदि सतर्कता सूची में सूचीबद्ध निर्यातक प्रस्तावित निर्यातों के पूरे मूल्य को सुरक्षा के पक्ष में अग्रिम भुगतान या अविकल्पी साखपत्र पाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक का जीआर/एसडीएफ/पीपी फार्म अनुमोदित करे।

(ii) ऐसे अनुमोदन पोतलदान के लिए मीयादी बिल के आहरण के मामले में भी दिए जा सकते हैं बशर्ते संबंधित साखपत्र संपूर्ण निर्यात मूल्य की सुरक्षा करता है साथ ही ऐसे बिल की आहरण की अनुमति देता है और मीयादी बिल की परिपक्वता अवधि पोतलदान की तारीख से छह महीने के अंदर हो।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक सतर्कता सूचीवाले निर्यातकों के लिए गारंटी जारी करने हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करे।

भाग - 4

संलग्नक-1

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

जीएसआर 381 (E) दिनांक 3 मई 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित)* :- केंद्र सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से लोकाहित में इसे आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 कहा जा सकता है ।
(2) ये 1 जून 2000 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;**

क) **" अधिनियम"** से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;
ख)**"आहरण"** से किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत साख पत्र लेना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा दायित्व उत्पन्न होता है, का प्रयोग भी सम्मिलित है;
ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है ।

3. **विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध :-** किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण निषिद्ध है , अर्थात्

क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन; या
ख) नेपाल और / या भूटान की यात्रा; या
ग) नेपाल या भूटान के निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन;

परंतु खंड (ग) के निषेध में भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसे निबंधन और शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें अनुबद्ध करना वह आवश्यक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट दे सकता है।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :- कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा;
परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है ।

5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन

कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पुर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा;

परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है;

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के एक्सचेंज अर्नरर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगी, जहाँ एक्सचेंज अर्नरर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते से आहरण अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है ।

7. भारत से बाहर रहते समय अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग

नियम 5 में दिए गए अनुदेश किसी व्यक्ति के भारत से बाहर के दौरे पर रहते समय खर्चों को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा भुगतान हेतु अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लागू नहीं होगा।

अनुसूची I
लेनदेन जो निषिद्ध हैं (नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण ।

2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य अभिरुचि से उत्पन्न आय से प्रेषण।

3. लाटरी टिकट, निषिद्ध/अभिनिषिद्ध पत्रिका खरीदने, फुटबाल पूल दांव लगाने, आदि के लिए प्रेषण।

4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान।

5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश, जिसके लिए शेष लाभांश की अपेक्षा भी लागू है, से प्रेषण।

6. चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10% तक कमीशन को छोड़कर रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान।

7. दूरभाषा के "काल बैक सर्विसेज़" से संबंधित भुगतान।

8. अनिवासी विशेष रुपए (खाते)(एनआरएसआर) योजना में रखी निधियों पर ब्याज की आय से प्रेषण।

अनुसूची - II
केन्द्र सरकार की पूर्वानुमोदन की अपेक्षा रखलेवाले लेनदेन
(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	**भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है ।**
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000) अमरीकी डॉलर) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े से प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सीआइएफ पर आधारित (जैसे एफओबी और एफएएस पर आधारित को छोड़कर) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आयात पर भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित अभिकर्ताओं को प्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. टीवी चैनल और इंटरनेट सेवा देनेवाले द्वारा ट्रांस्पांडर का भाड़े पर लेना	सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार और सूचना तकनीक मंत्रालय
7. पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित आधान निरोध प्रभार से अधिक दर का प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8. ऐसे तकनीकी सहयोग करारों के अधीन प्रेषण, जहाँ स्वामित्व का भुगतान स्थानीय विक्रय पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत से अधिक है और एक मुश्त राशि का भुगतान 2 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है।	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय

9. यदि रकम 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक है तब अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रियाकलापों के पुरस्कार धन/प्रायोजन के लिए प्रेषण।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल)
10. हटा दिया गया।	
11. पी एण्ड आइ क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण ।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III
(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया
2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक निजी यात्रा के लिए एक कलैंडर वर्ष में 10,000 अमरीकी डॉलर उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा जारी करना।
3. @प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक / दाता, 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का उपहार प्रेषण।
4. #प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक/दाता 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान।
5. रोज़गार के लिए विदेश जानेवाले व्यक्तियों के लिए 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक मुद्रा सुविधाएं ।
6. उत्प्रवास के लिए 1,00,000 अमरीकी डॉलर या उत्प्रवास देश द्वारा निर्धारित रकम से अधिक मुद्रा सुविधाएं ।
7. विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए प्रेषण :

    (i) किसी व्यक्ति के जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी तौर पर निवासी नहीं है और पाकिस्तान से भिन्न किसी दूसरे देश का नागरिक है, शुद्ध वेतन (कर, भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य कटौतियों के बाद) से अधिक, तथा -

    (क) वह पाकिस्तान छोड़कर किसी अन्य देश का राष्ट्रिक है; अथवा

    (ख) वह भारतीय राष्ट्रिक है, जो ऐसे विदेशी कंपनी के कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक अथवा संयुक्त उद्यम में

    (ii) सभी अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता 1,00,000 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक।

    स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने नियोजन के प्रयोजन (अवधि विस्तार पर ध्यान दिए बगैर) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।
8. किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर ध्यान न देते हुए, कारोबार यात्रा के लिए या किसी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए या विशेष प्रशिक्षण के लिए या चिकित्सीय उपचार के

लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने के लिए या विदेश में जाँच कराने के लिए या चिकित्सीय उपचार/जाँच के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।

9. विदेश में चिकित्सीय उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक के अनुमान से अधिक मुद्रा जारी करना ।
10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के अनुमान से अधिक या 1,00,000 अमरीकी डॉलर "प्रति शैक्षणिक वर्ष" जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।
11. भारत में आवासीय फ्लैटों अथवा वाणिज्यिक प्लाटों के बिक्री के लिए विदेश के एजेंट को प्रति लेनदेन कमीशन 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या आवक प्रेषण का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
12. निरस्त
13. निरस्त
14. निरस्त
15. $भारत के बाहर खरीदी गई परामर्शी सेवाओं के लिए 1000,000 अमरीकी डॉलर प्रति परियोजना से अधिक प्रेषण।
16. निरस्त
17. *पूर्व निगमन व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा भारत में किसी कंपनी द्वारा 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक का प्रेषण ।
18. निरस्त

***(संशोधन)**

(अधिसूचना जी.एस.आर. 663(E) दिनांक अगस्त 9, 2000, एस.ओ. 301(E) मार्च 30, 2001, जी.एस.आर. 443(E) दिनांक अक्तूबर 22, 2002, जी.एस.आर. 831(E) दिनांक दिसंबर 17, 2002, जी.एस.आर. 33(E) दिनांक जनवरी 15, 2003, जी.एस.आर. 397(E) दिनांक मई 1, 2003, जी.एस.आर. 731(E) दिनांक सितंबर 5, 2003, जी.एस.आर. 849(E) दिनांक अक्तूबर 27, 2003, जी.एस.आर. 608(E) दिनांक सितंबर 13, 2004, और जी.एस.आर. 412(E) दिनांक जुलाई 10, 2006

****

कृपया नोट करें :

@दिसंबर 20, 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 द्वारा संशोधित समझा जाता है।

#दिसंबर 20, 2006 और अप्रैल 30, 2007 के ए.पी.(डीआइआर) क्रमशः परिपत्र सं.24 और 45 द्वारा संशोधित समझा जाता है।

$अप्रैल 30, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46 द्वारा संशोधित समझा जाता है।

*अप्रैल 30, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47 द्वारा संशोधित समझा जाता है।

संलग्नक 2

3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/2000-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) और उप-धारा (3), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 कहा सकेगा;
ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें एक घटक के रूप में कारबार करनेवाला और उक्त धारा 10 के अंतर्गत इस रूप में प्राधिकृत व्यक्ति शामिल है;

iii) 'एक्जिम बैंक' से भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अंतर्गत स्थापित निर्यात-आयात बैंक अभिप्रेत है;

iv) 'निर्यात' में परेषण पर या बिक्री, पट्टे, किराया-खरीद के द्वारा या किसी भी नाम से उल्लिखित किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से वस्तुएं देश से बाहर ले जाना या भेजना और सॉफ्टवेयर के मामले में किसी इलेट्रॉनिक माध्यम से संचारण भी शामिल है;

v) पट्टे या किराया-खरीद द्वारा या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किए जानेवाले निर्यात के संबंध में 'निर्यात मूल्य' में ऐसे पट्टे या किराया-खरीद या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के संबंध में देय प्रभार शामिल हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से उल्लिखित किया जाता हो;

vi) 'फॉर्म' से इन विनियमों के साथ संलग्न फॉर्म अभिप्रेत है;

vii) ‘अनुसूची’ से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

viii) ‘सॉफ्टवेयर’ से अभिप्रेत है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, रेखांकन, डिज़ाइन, श्रव्य-दृश्य संकेतक, किसी भौतिक माध्यम में या उससे इतर किसी अन्य माध्यम में या कोई अन्य सूचना, चाहे उसे किसी भी नाम से उल्लिखित किया जाता हो;

ix) "विनिर्दिष्ट प्राधिकरण" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति अथवा प्राधिकरण जिसे विनियम 3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाता है।

x) "कार्यकारी दल" से अभिप्रेत आस्थगित भुगतान की शर्तों पर अथवा टर्नकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन अथवा सिविल कन्सट्रक्शन कांट्रैक्ट पर माल और सेवाओं के निर्यात के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दल है।

xi) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है उनका अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में क्रमशः निर्धारित किया गया है।

3. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संबंध में घोषणा

1) भौतिक या अन्य किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल और भूटान को छोड़कर, भारत से बाहर किसी भी स्थान को वस्तुओं या सॉफ्टवेयर का निर्यात करनेवाला हर निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुसूची में निर्धारित फार्मों में से किसी एक में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसके समर्थन में निर्दिष्ट किया जा सकने वाला साक्ष्य संलग्न हो और जिसमें निम्नलिखित की द्योतक राशि-सहित सही और तथ्यपरक महत्वपूर्ण ब्योरा दिया जाना चाहिए -

i) वस्तुओं या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात-मूल्य; या

ii) यदि निर्यात के समय पूर्ण निर्यात-मूल्य का निश्चय न किया जा सकता हो, तो वह मूल्य जो निर्यातक विदेशी बाज़ार में वस्तुओं या सॉफ्टवेयर की बिक्री होने पर बाज़ार की चालू स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त होने की अपेक्षा करे, और उक्त घोषणा में स्वीकार करे कि सॉफ्टवेयर या वस्तुओं का पूर्ण निर्यात-मूल्य (निर्यात के समय उसका निश्चय किया जा सकता हो या नहीं) निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट तरीके से अदा कर दिया गया है या कर दिया जाएगा ।

2) घोषणाएं निर्दिष्ट संख्या के सेटों में निष्पादित की जाएंगी ।

3) संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन सेवाओं के निर्यात के संबंध में इन विनियमों में निर्दिष्ट कोई फार्म लागू नहीं होता, निर्यातक बिना कोई घोषणा प्रस्तुत किए उन सेवाओं का निर्यात कर सकता है, किंतु वह ऐसे निर्यात के फलस्वरूप प्राप्य या उपार्जित होनेवाली विदेशी मुद्रा की राशि वसूल करने और उसे अधिनियम और इन विनियमों तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाए जानेवाले अन्य नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

4. छूट

विनियम 3 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात घोषणा प्रस्तुत किए बिना ही किया जा सकता है :

क) निःशुल्क आपूर्त की जाने वाली वस्तुओं के व्यापारिक नमूने और प्रचार-सामग्री;

ख) यात्रियों के निजी सामान, चाहे वह उनके साथ हो या अलग से भेजा जाए;

ग) केंद्र सरकार के या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारियों के या सेना, नौसेना या वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए भारत में सेना, नौसेना या वायुसेना के प्राधिकारियों के आदेशों के अंतर्गत आपूर्त किए जानेवाले जहाज के भंडार, पोतांतरण-नौसेवा और वस्तुएं;

घ) वस्तुएं और सॉफ्टवेयर, जिनके साथ निर्यातक की यह घोषणा हो कि उनका मूल्य पच्चीस हजार अमरीकी डॉलर[1] से अधिक नहीं है;

ङ) उपहारस्वरूप वस्तुएं, जिनके साथ निर्यातक की यह घोषणा हो कि उनका मूल्य पांच लाख रुपए[1] से अधिक नहीं है;

च) विदेश में ओवरहॉलिंग और/या मरम्मत के लिए वायुयान या वायुयान के इंजन और स्पेयर पार्ट्स, बशर्ते कि ओवरहॉलिंग/मरम्मत के बाद उन्हें उनके निर्यात की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर भारत में वापस आयात किया जाए;

छ) पुनर्निर्यात के आधार पर निःशुल्क आयातित वस्तुएं;

ज) केंद्र सरकार और म्याँमार सरकार के बीच वस्तु-विनिमय व्यापार करार के अंतर्गत म्याँमार को निर्यातित प्रति लेनदेन 1,000 अमरीकी डॉलर या उसके समकक्ष राशि से अनधिक मूल्य की वस्तुएं;

झ) निर्यात प्रसंस्करण अंचलों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ़्टवेयर पार्कों या मुक्त व्यापार अंचलों के विकास आयुक्त द्वारा पुनर्निर्यात किए जाने के लिए अनुमत निम्नलिखित वस्तुएं :

1) दोषपूर्ण पाई गई वस्तुएं, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों द्वारा उन्हें बदले जाने के प्रयोजन से;

2) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों से ऋण आधार पर आयातित वस्तुएं;

3) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों से उत्पादन-कार्यों के बाद बेशी पाई गई निःशुल्क आयातित वस्तुएं ।

झक) सूचीबद्ध वस्तु को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास आयुक्त / संबंधित सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त को सूचना देते हुए किए जाने वाले पुनःनिर्यातित खण्ड (I) की मद (1), (2) और (3) पर सूचीबद्ध वस्तुएं ;

ञ) फिलहाल, प्रचलित एक्ज़िम पॉलिसी प्रावधानों के अनुसार निशुःल्क निर्यातित मालों का प्रतिस्थापन;

ट) भारत को पुनः आयात करने की शर्त पर परीक्षण के लिए भारत के बाहर भेजा गया माल;

ठ) मरम्मत और पुनः आयात के लिए भारत के बाहर भेजा गया दोषपूर्ण माल बशर्ते कि वह भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ संलग्न है कि निर्यात मरम्मत और पुनः आयात के लिए है और उस निर्यात में कोई लेनदेन विदेशी मुद्रा में शामिल नहीं है ;

ड) आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात की अनुमति नियमों और शर्तों के अधीन होगी यदि कोई, जो अनुमति में निर्धारित किया गया हो ।

5. आयातक-निर्यातक कोड नंबर का उल्लेख

निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत घोषणा-पत्र की सभी प्रतियों पर और निर्यातक द्वारा रिज़र्व बैंक के प्राधिकृत व्यापारी के साथ किए जानेवाले सभी पत्राचार में, यथास्थिति, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 7 के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा आबंटित आयातक-निर्यातक कोड नंबर का उल्लेख किया जाएगा ।

6. किस प्राधिकारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और घोषणा पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी

अ. जीआर/एसडीएफ़ फ़ॉर्म में घोषणा

1) i) जीआर/एसडीएफ़ फ़ार्म में घोषणा सीमा शुल्क आयुक्त को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

ii) घोषणा पत्र का विधिवत् सत्यापन करने और अधिप्रमाणित करने के बाद सीमा शुल्क आयुक्त मूल घोषणा पत्र/आँकड़े रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को दे देगा।

आ. पीपी फ़ॉर्म में घोषणा

2) i) पीपी फार्म में घोषणा पत्र उसमें अंकित प्राधिकृत व्यापारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

ii) प्राधिकृत व्यापारी घोषणा पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने के बाद मूल घोषणा पत्र निर्यातक को दे देगा जो उसे उस डाक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके माध्यम से माल भेजा जा रहा है। डाक प्राधिकारी माल भेजने के बाद घोषणा पत्र रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेज देगा।

इ. सॉफ़्टेक्स फ़ॉर्म में घोषणा

3) i) कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर और ऑडियो/वीडियो/टेलीविजन सॉफ़्टवेयर के निर्यात के संबंध में सॉफ़्टेक्स फार्म में घोषणा पत्र भारत में स्थित भारतीय सॉफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय के नामोद्दिष्ट अधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

ii) सॉफ़्टेक्स फ़ार्म की तीनों प्रतियां लेने के बाद उक्त प्राधिकृत अधिकारी मूल घोषणा पत्र सीधे रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति निर्यातक को वापस कर देगा। प्राधिकृत अधिकारी उसकी तीसरी प्रति अपने पास रिकार्ड के लिए रख लेगा।

ई[2]. प्राधिकृत व्यापारी के पास रोक रखी जानेवाली घोषणा पत्र की दूसरी प्रति

प्राधिकृत व्यापारी निर्यात आय प्राप्त करने के बाद निर्यात घोषणा के फार्म जीआर, पीपी, सॉफ़्टेक्स और पोतलदान बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतियां संबंधित सांविधिक घोषणा पत्र के साथ रोक रखेगा।

7. घोषणा के समर्थन में साक्ष्य

सीमा शुल्क आयुक्त या डाक प्राधिकारी या सूचना प्राद्यौगिकी मंत्रालय के अधिकारी जिसको घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाता है, अधिनियम की धारा 7 और इन विनियमों के विधिवत् अनुपालन के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने की दृष्टि से घोषणा के समर्थन में ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा करेगा, जिससे यह सिद्ध हो कि -

क) निर्यातक भारत का निवासी व्यक्ति है और भारत में उसके पास व्यावसायिक स्थल है;

ख) घोषणा पत्र में उल्लिखित गंतव्य स्थान निर्यातित माल का अंतिम गंतव्य स्थान है;

ग) घोषणा पत्र में उल्लिखित मूल्य -

1) माल या सॉफ़्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्य है; या
2) जहां निर्यात के समय माल या सॉफ़्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्य निर्धारणीय नहीं हो वहां निर्यातक बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विदेशी बाजार से माल की बिक्री से प्राप्य अनुमानित मूल्य है ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियमन के प्रयोजनार्थ, 'अंतिम गंतव्य स्थान' का अभिप्राय किसी देश के उस स्थान से है, जहां निर्यातित माल अंततः आयात के रूप में पहुंचना है और उस देश के सीमा-शुल्क प्राधिकारी के द्वारा उसकी निकासी की जानी है ।

8. माल के निर्यात मूल्य की भुगतान-विधि

जब तक रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न हो, निर्यातित माल के संपूर्ण निर्यात-मूल्य की राशि का भुगतान प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंध (रीति तथा प्राप्ति और भुगतान) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजनार्थ, निर्यातित माल के भारत में पुनः आयात को, जिसके संबंध में विनियम 3 के अंतर्गत घोषणा की गयी हो, के निर्यात मूल्य की विनिर्दिष्ट अवधि में वसूली के लिए ऐसे माल के संपूर्ण निर्यात मूल्य की की जानेवाली वसूली माना जाएगा ।

9. अवधि जिसके भीतर माल/सॉफ़्टवेयर के निर्यात मूल्य की वसूली की जाएगी

(1) निर्यातित माल या सॉफ़्टवेयर के संपूर्ण निर्यात मूल्य की राशि निर्यात की तिथि से छः महीने के भीतर वसूल की जाएगी और भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी :

इसके अलावा बशर्ते जहां माल अथवा सॉफ्टवेयर का निर्यात विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों द्वारा किया जाता है वसूली की अवधि का निर्धारण और माल एवं सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य का भारत में प्रत्यावर्तन पर लागू नहीं होगा।[3]

बशर्ते जहां रिज़र्व बैंक की अनुमति से भारत के बाहर स्थापित गोदाम को माल निर्यात किया जाता है, निर्यातित माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करनेवाली राशि का भुगतान, वसूली होते ही और किसी भी हालत में माल के लदान की तारीख से पंद्रह महीने के अंदर प्राधिकृत व्यापारी को कर दिया जाएगा।

बशर्ते रिज़र्व बैंक, या इस संबंध में संबंधित बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी, दर्शाए गए पर्याप्त और उजित कारण से, यथास्थिति, 6 महीने अथवा 15 महीने की उक्त अवधि बढ़ा सकता है ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए भौतिक रूप से इतर रूप में सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में 'निर्यात की तारीख' ऐसे निर्यात के बीजक की तारीख मानी जाएगी जो निर्यात को सुरक्षा प्रदान करता है।

2 क) जहाँ वस्तुओं अथवा सॉफ़्टवेयर का निर्यात विदेश व्यापार नीति में परिभाषित हैसियत धारक निर्यातक द्वारा किया गया है वहाँ उप-विनियम (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी वस्तु अथवा सॉफ़्टवेयर की पूर्ण निर्यात मूल्य राशि की वसूली की जानी चाहिए और निर्यात की तिथि से बारह महीने के भीतर भारत को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए ;

यह उपबंधित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक पर्याप्त और उचित कारण उल्लिखित किए जाने पर 12 महीने की अवधि को बढ़ा सकता है;

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक उचित और पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने पर यह निदेश दे सकता है कि **उक्त निर्यातक**[3] उप-विनियम (2) द्वारा नियंत्रित नहीं होंगे;

यह उपबंधित किया जाता है कि इस प्रकार का निदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि इकाई को इस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए समुचित अवसर न दिया गया हो;

ग) इस प्रकार के निदेश पर, जब तक कि रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा न निदेश दिया जाए **हैसियत धारक निर्यातक**[3] उप विनियम (1) द्वारा नियंत्रित होंगे।

10. विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

कोई व्यक्ति माल के निर्यात के संबंध में ऐसी शर्तों पर कोई संविदा नहीं करेगा जिसमें निर्यात किए जानेवाले माल के भुगतान की छह महीने से अधिक की अवधि का प्रावधान हो :

बशर्ते कि रिज़र्व बैंक, उचित और पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने पर, ऐसी शर्तों पर संविदा करने की अनुमति दे।

11. निर्यात दस्तावेज़ों की प्रस्तुति

निर्यात संबंधी दस्तावेज़ निर्यात की तारीख अथवा सॉफ़्टेक्स फ़ॉर्म के प्रमाणन की तारीख से, यथास्थिति, 21 दिन के अंदर संबंधित घोषणा फ़ॉर्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

बशर्ते समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी 21 दिन की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद निर्यात संबंधी दस्तावेज़, निर्यातक के नियंत्रण से परे कारण को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार कर सकता है ।

12. प्रलेखों का हस्तांतरण

विनियम 3 पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, प्राधिकृत व्यापारी निर्यातों से संबंधित बीजक तथा विनिमय पत्र सहित पोतलदान प्रलेखों की बेचान अथवा वसूली के लिए अपने

ग्राहक (विनियम 3 के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नहीं) से स्वीकार कर सकता है :

बशर्ते कि बेचान या वसूली के लिए ऐसे प्रलेखों को स्वीकार करने से पूर्व, प्राधिकृत व्यापारी यह अपेक्षा करेगा कि -

क) जहां घोषणा में घोषित मूल्य तथा बेचान किए जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे प्रलेखों में दर्शाए गए मूल्य में अंतर नहीं हो, अथवा

ख) जहां घोषणा में घोषित मूल्य, बेचान किए जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे प्रलेखों में दर्शाए गए मूल्य से कम हो,

वहां संबंधित ग्राहक भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर करे और इसके पश्चात् उक्त ग्राहक इस बात से प्रतिबद्ध होगा कि वह ऐसी मांग की पूर्ति करे और घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला ऐसा ग्राहक, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए निर्यातक समझा जाएगा जिसकी सीमा, बेचान किए गए अथवा वसूली के लिए भेजे गए प्रलेखों में दर्शाए पूर्ण मूल्य तक होगी और तदनुसार इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होगी।

13. निर्यात के लिए भुगतान

किसी माल या सॉफ़्टवेयर के निर्यात के संबंध में, जिसके लिए विनियम 3 के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना अथवा रिज़र्व बैंक के निदेशों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी की अनुमति के बिना ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा अथवा काम करने से नहीं बचेगा अथवा कोई कार्रवाई नहीं करेगा या कार्रवाई करने से नहीं बचेगा जिसमें -

i) माल या सॉफ़्टवेयर के लिए भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से न होकर किसी अन्य तरीके से किया गया है; अथवा

ii) इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के बाद विलंब से भुगतान किया जाता है; अथवा

iii) निर्यातित माल या सॉफ़्टवेयर की बिक्री से प्राप्त राशि रिज़र्व बैंक अथवा रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन किसी प्राधिकृत व्यापारी की अनुमति से की गई कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद माल या सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य को इंगित नहीं करती ।

बशर्ते कि इन प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में तब तक कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी जबतक विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हो जाती और सॉफ्टवेयर या माल के निर्यात के पूर्ण मूल्य अथवा खण्ड (iii) के अंतर्गत अनुमत कटौतियों के बाद, मूल्य का भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर नहीं कर दिया जाता ।

14. कतिपय निर्यात जिनके लिए पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है

अ. पट्टे, किराए, आदि पर माल का निर्यात

कोई भी व्यक्ति, केवल रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के मामले को छोड़कर, भारत के बाहर कोई माल थल, समुद्र या वायु मार्ग से पट्टे पर या किराया पर या किसी व्यवस्था के अंतर्गत या उक्त माल का निपटान या बिक्री से भिन्न किसी अन्य तरीके से नहीं ले जा सकता/भेज सकता है।

आ. व्यापार करार/रुपया जमा आदि के अंतर्गत निर्यात

i) केंद्र सरकार और किसी विदेश की सरकार के बीच की गयी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत या केंद्र सरकार द्वारा विदेश की सरकार को दिए गए रुपया क्रेडिट के अंतर्गत माल का निर्यात, भारत के व्यापार नियंत्रण प्राधिकार द्वारा जारी संगत सार्वजनिक सूचना में दी गयी शर्तों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।

ii) निर्यातों के वित्तपोषण के लिए भारत से निर्यात-आयात बैंक द्वारा किसी विदेशी राज्य (स्टेट) में कार्यरत कोई बैंक या वित्तीय संस्था को ऋण व्यवस्था के अंतर्गत कोई निर्यात, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा ।

इ. प्रति (काउंटर) व्यापार

भारत से निर्यातित माल के मूल्य के बदले भारत में आयातित माल के मूल्य का सामंजस्य करने वाली किसी व्यवस्था के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी ।

15. भुगतान की प्राप्ति में विलंब

जहां माल या सॉफ्टवेयर निर्यात संबंधी मामले में, जिसे विनिर्दिष्ट फॉर्म पर घोषित किया जाना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी हो और इसके लिए यथोक्त भुगतान भी नहीं किया गया हो, रिज़र्व बैंक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसने माल या सॉफ्टवेयर बेचा है या जो माल या सॉफ्टवेयर को बेचने का हक रखता है या इसके लिए बिक्री का प्रबंध किया है, ऐसा निदेश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में निम्नलिखित को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उचित है, (क) यदि माल या सॉफ़्टवेयर बेचा जा चुका है तो उसका

भुगतान प्राप्त करने के लिए, (ख) यदि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर माल या सॉफ़्टवेयर बेचा नहीं गया है या उसका भारत में पुनः आयात नहीं किया गया है जैसी भी परिस्थिति हो, तो उसकी बिक्री और भुगतान के लिए;

बशर्ते कि रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाने में किसी चूक का प्रभाव यह नहीं होगा कि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उसके परिणाम से बच जाए ।

16. निर्यातों पर अग्रिम भुगतान

(1) जहां कोई निर्यातक भारत के बाहर किसी क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ या इसके बिना) प्राप्त करता है, निर्यातक का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि-

i) माल का पोतलदान अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाता है ;

ii) अग्रिम भुगतान पर देय, ब्याज की दर यदि कोई है, लिबोर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट) + 100 आधार प्वाइंट से अधिक न हो; और

iii) पोत लदान को सुरक्षा प्रदान करनेवाले प्रलेख उस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जाने चाहिए जिसके जरिए अग्रिम का भुगतान प्राप्त किया गया है;

बशर्ते कि निर्यातक की इस असमर्थता की स्थिति में कि वे अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के अंतर्गत अंशतः अथवा पूर्णतः पोत लदान नहीं कर पाता है, अग्रिम भुगतान के अप्रयुक्त अंश की वापसी या ब्याज के भुगतान के लिए कोई प्रेषण, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) उप विनियम (1) के खण्ड (i) में निहित किसी बात के होते हुए भी जहां निर्यात करार में यह प्रावधान है कि अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि से परे माल का पोत लदान किया जा सकता है, निर्यातक को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा ।

17. कतिपय मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करना

1) माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात संबंधी विनियम 3 के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे घोषित किया जाना है, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य या, जैसा भी मामला हो, निर्यातक विद्यमान बाजार की दशा को देखते हुए आशा करता है कि विदेशी (ओवरसीज़) बाजार में उसे माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री पर मूल्य सही समय पर और बिना विलंब के प्राप्त हुआ है, समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, माल या सॉफ्टवेयर में किसी भी गंतव्य स्थान के लिए निर्यात के संबंध में या किसी भी श्रेणी के निर्यात लेनदेन या किसी श्रेणी के माल या सॉफ़्टवेयर या निर्यातकों की श्रेणी के लिए, ये निदेश दे सकता है कि निर्यातक निर्यात के पूर्व उन शर्तों को पूरा करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात्

क) माल या सॉफ़्टवेयर का भुगतान अप्रतिसंहरणीय साख पत्र या आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य व्यवस्था या प्रलेख द्वारा सुरक्षित है;

ख) **विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली कोई घोषणा, इसके पूर्वानुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारी को भेजी जाएगी, ऐसा अनुमोदन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है या रोके रखा जा सकता है अथवा ऐसी शर्तों जो रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समय-समय पर जारी निदेशों के अधीन हो दिया जा सकता है।**[4]

ग) कि विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवाली घोषणा की प्रति, यह प्रमाणित करने के लिए कि घोषणा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सॉफ़्टवेयर का मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है, ऐसे प्राधिकरण अथवा संगठन को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि आदेश में बताया गया है।

2) **जब तक निर्यातक को मामले के संबंध में प्रतिवेदन करने का एक उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है तब तक रिज़र्व बैंक उप विनियम (1) के अंतर्गत कोई निदेश नहीं देगा तथा प्राधिकृत व्यापारी उस उप विनियम के खंड (ख) के अंतर्गत किसी अनुमोदन को नहीं रोकेगा।**[4]

18. परियोजना निर्यात

जहां वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात आस्थगित भुगतान की शर्तों पर अथवा किसी टर्न की परियोजना के कार्यान्वयन अथवा सिविल निर्माण ठेके पर किया जाना प्रस्तावित है, वहां

निर्यातक ऐसी कोई निर्यात व्यवस्था करने से पहले अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करेगा ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण' से कार्यकारी दल अथवा निर्यात-आयात बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारी अभिप्रेत है ।

(पी.आर. गोपाल राव)
कार्यपालक निदेशक

अनुसूची
(विनियम 3 देखें)

फार्म **जीआर** : भौतिक रूप में सॉफ्टवेयर का निर्यात अर्थात् मैग्नेटिक टेप/ डिस्क और पेपर मीडिया सहित अन्य निर्यात हेतु दो प्रतियों में भरा जाए।

फार्म **एसडीएफ** : दो प्रतियों में भरा जाए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा शुल्क कार्यालय को घोषित निर्यातों के लिए पोतलदान बिल के साथ संलग्न किया जाए जिसने बिल की छटाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पोतलदान इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली शुरू की है।

फार्म **पीपी** : डाक द्वारा निर्यात के लिए दो प्रतियों में भरा जाए।

फार्म **सॉफ्टेक्स** : भौतिक रूप अर्थात् मैग्नेटिक टेप/ डिस्क अथवा पेपर मीडिया से अन्यथा सॉफ्टवेयर के निर्यात के घोषणा के लिए तीन प्रतियों में भरा जाए।

1. *मार्च 25, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.116/2004-आरबी द्वारा संशोधित।*
2. *अक्तूबर 29, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा.107/2003-आरबी द्वारा संशोधित।*
3. *अगस्त 27, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा.99/2003-आरबी द्वारा संशोधित।*
4. *मार्च 13, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 114/2004-आरबी द्वारा संशोधित।*

फार्म जीआर, एसडीएफ, पीपी और सॉफ्टेक्स
विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म क्र.

मूल

निर्यातक	बीजक क्र.और तारीख	एसबी क्र. और तारीख	
	एआर4/एआर4ए क्र और तारीख		
	क्यू./प्रमाणपत्र क्र. और तारीख	निर्यातक-आयातक कूट क्र.	
परेषिती	निर्यात व्यापार नियंत्रण		

			यदि निर्यात निम्नलिखित के अंतर्गत	
			आस्थगित ऋण	
			संयुक्त उद्यम	
			रुपया ऋण	
			अन्य	
			भारिबैंक का अनुमोदन/परिपत्र क्र और तारीख	
कस्टम हाउस एजेंट	साख पत्र क्र.			
निम्नलिखित द्वारा पूर्व वहन	पूर्व वाहक द्वारा प्राप्ति स्थान			
			पोतल दान की किस्म	
			आउट राइट विक्री	
पोत/फ्लाइट क्र.	रोटेशन क्र.		कन्साइनमेंट निर्यात	
			अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	
	लदान पोर्ट	संविदा किस्म सीआइएफ	/सी एण्ड एफ	/एफओबी
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		

	डिस्चार्ज पोर्ट	गंतव्य देश	सीए की धारा 14 के अंतर्गत बीज़क की मुद्रा की विनिमय दर			
क्रम सं.	चिह्न और क्र.	कंटेनर सं.	सं. और पैकेजों की किस्म	माल की सांख्यिकीय कूट और विवरण	मात्रा	एफओबी मूल्य
	निवल भार					
	सकल भार					
	कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					

निर्यात मूल्य का विश्लेषण	मुद्रा	राशि	कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां निश्चित न किया जा सके वहां निर्यातक द्वारा माल की विक्री से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य	
एफओबी मूल्य				
ढुलाई				
बीमा			मुद्रा	
कमीशन दर				
छूट			राशि	
अन्य कटौतियां				

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म क्र.

क्या निर्यात साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है ?	हां		नहीं		**कस्टम के लिए**	
यदि हां तो भारत में सूचना दाता बैंक का नाम					कस्टम का निर्धार्य मूल्य रुपया	
					(रुपए	
बैंक जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है						
					निर्यात मूल्य का सत्यापन किया गया	
						कस्टम का मूल्यांकनकर्ता
क्या भुगतान एशिआई समाशोधन संघ के माध्यम से प्राप्त होना है ? हां /नहीं					पोतल दान की तारीख	कस्टम का मूल्यांकनकर्ता

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत घोषणाः मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिस माल के संबंध में यहां जो घोषणा की है मैं/हम उसके विक्रेता/कन्साइनर हूं/हैं और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यह कि (क)* क्रेता के साथ किए गए करार का मूल्य वही है जो कि पिछले पृष्ठ पर पूर्ण निर्यात मूल्य की घोषणा की गई है/ (ख)* माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का निर्धारण निर्यात के समय नहीं किया जा सकने वाला और घोषित किया गया मूल्य वही है जो मुझे/हमें प्रचलित बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर समुद्रपारीय बाज़ार में बेचने से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य है।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यहां नामित बैंक को माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की कुल विदेशी मुद्रा @---------- तक या उससे पहले@अधिनियम के तहत विनियमावली में निर्धारित तरीके से सौंप दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषित

<table>
<tr><td colspan="2">करता करते हूं/हैं कि मैं/हम भारत में निवासी हूं/हैं और मेरे/हमारे पास भारत में कारेबार करने का स्थान है।</td></tr>
<tr><td>मैं/हम * भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची में नहीं हूं/हैं।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">तारीख-----------
(निर्यातक के हस्ताक्षर)</td></tr>
<tr><td colspan="2">@सुपुर्दगीकी उपयुक्त तारीख बताएं जो कि पोतल दान की तारीख से छः महीने के भीतर होनी चाहिए परंतु भारत से बाहर स्थापित वेयर हाउसों के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति से सुपुर्दगीकी तारीख 15 महीने के भीतर होनी चाहिए।</td></tr>
<tr><td colspan="2">* जो लागू न हो काट दें।</td></tr>
<tr><td colspan="2">भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म क्र.

अनुलिपि

निर्यातक	बीज़क क्र. और तारीख	एसबी क्र. और तारीख
	एआर4/एआर4ए क्र और तारीख	
	क्यू./प्रमाणपत्र क्र. और तारीख	निर्यातक-आयातक कूट क्र.
परेषिती	निर्यात व्यापार नियंत्रण	

			यदि निर्यात निम्नलिखित के अंतर्गत	
			आस्थगित ऋण	
			संयुक्त उद्यम	
			रुपया ऋण	
			अन्य	
कस्टम हाउस एजेंट	साख पत्र क्र.		भारि बैंक का अनुमोदन/परिपत्र क्रं और तारीख	
निम्नलिखित द्वारा पूर्व वहन	पूर्व वाहक द्वारा प्राप्ति स्थान		पोतल दान की किस्म	
			आउट राइट बिक्री	
			कन्साइनमेंट निर्यात	
			अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
पोत/फ्लाइट क्र.	रोटेशन क्र.			

	लदान पोर्ट	संविदा किस्म : सीआईएफ		/सी एण्ड एफ		/एफ ओ बी	
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					

डिस्चार्ज पोर्ट	गंतव्य देश	सीए की धारा 14 के अंतर्गत बीज़क की मुद्रा की विनिमय दर

क्र. सं.	चिह्न और क्र.	कंटेनर सं.	सं. और पैकेजों की किस्म	माल की सांख्यिकीय कूट और उसका विवरण	मात्रा	एफओबी मूल्य
	निवल भार					
	सकल भार					

	कुल एफओबी मूल्य शब्दों में			
	निर्यात मूल्य का विश्लेषण	मुद्रा राशि	कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां निश्चित न किया जा सके वहां निर्यातक द्वारा माल की विक्री से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य	
	एफओबी मूल्य			
	ढुलाई			
	बीमा		मुद्रा	
	कमीशन दर			
	छूट		राशि	
	अन्य कटौतियां			

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म क्र.

क्या निर्यात साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है ?	हां		नहीं		कस्टम के लिए	
यदि हां तो भारत में सूचना दाता बैंक का नाम					कस्टम का निर्धार्य मूल्य रुपया	
जिस बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है					(रुपए	
					निर्यात मूल्य का सत्यापन किया गया	
						कस्टम का मूल्यांकनकर्ता
					पूर्णतः/ अंशतः पोतलदान	
					मात्रा	
					मूल्य	
क्या भुगतान एशिआई समाशोधन संघ के माध्यम से प्राप्त होना है ? हां / नहीं					पोतल दान की तारीख	कस्टम का मूल्यांकनकर्ता

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत घोषणाः मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिस माल के संबंध में यहां जो घोषणा की है मैं/हम उसके विक्रेता/कन्साइनर हूं/हैं और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यह कि (क)* क्रेता के साथ किए गए करार का मूल्य वही है जो कि पिछले पृष्ठ पर पूर्ण निर्यात मूल्य की घोषणा की गई है/ (ख)* माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का निर्धारण निर्यात के समय नहीं किया जा सकने वाला और घोषित किया गया मूल्य वही है जो मुझे/हमें प्रचलित बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर समुद्रपारीय बाज़ार में बेचने से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य है।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यहां नामित बैंक को माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की कुल विदेशी मुद्रा -------------तक या उससे पहले@ अधिनियम के तहत विनियमावली में निर्धारित तरीके से सौंप दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता करते हूं/हैं कि मैं/हम भारत में निवासी हूं/हैं और मेरे/हमारे पास भारत में कारेबार करने का स्थान है।

मैं/हम * भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची में नहीं हूं/हैं।	

तारीख-----------   (निर्यातक के हस्ताक्षर)
@सुपुर्दगीकी उपयुक्त तारीख बताएं जो कि पोतल दान की तारीख से छः महीने के भीतर होनी चाहिए परंतु भारत से बाहर स्थापित वेयर हाउसों के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति से सुपुर्दगीकी तारीख 15 महीने के भीतर होनी चाहिए।
* जो लागू न हो काट दें।
प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए स्थान
समान क्र. कूट

*बॉक्स में उल्लेख करें [□]					
बेचान की तारीख *(i)		(ii) वसूली के लिए रसीद		बिल सं.	

बिल की किस्म *(i) डीए		(ii) डीपी		(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
पोतल दान की किस्म * (i) फर्म विक्री संविदा				(ii) कन्साइनमेंट आधार पर		
(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
रिज़र्व बैंक को भेजी गई आर विवरणी के साथ जीआर फॉर्म शामिल किया गया था,__________ को समाप्त पक्ष के लिए, __________ (दिनांक) को प्रेषित						
हम प्रमाणित और पुष्टि करते हैं कि हमें निम्नप्रकार से ___________ (मुद्रा) (राशि) की कुल राशि इस फॉर्म पर घोषित निर्यात के लिए प्राप्त हुई है।						

प्राप्ति तारीख	मुद्रा	देश में नास्त्रो खाते में जमा		देश में एनआर रुपए खाते में नामे		आर विवरणी की अवधि जिसके द्वारा उगाही की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जा चुकी है।
		हमारे नाम में	के नाम में *	हमारे पास धारित	* के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(* संबंधित भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति का कोई और तरीका (उल्लेख करें)...................................

....

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख

पता..

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोग के लिए स्थान

एसडीएफ

[विनियम 3(1) देखें]

(दो प्रतियों में)

पोत-परिवहन बिल सं. दिनांक :

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत घोषणा :

मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उन माल के विक्रेता/माल परेषक हूं/हैं जिनके संबंध में यह घोषणा की जाती है कि दिनांक ____________ के पोत-परिवहन बिल सं.__________________ में दिये गये विवरण सत्य और सही हैं और यह कि (क)* क्रेता के साथ हुए संविदा के अनुसार मूल्य वही मूल्य है जो उपर्युक्त पोत-परिवहन बिल में घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य है (ख)* निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य नहीं आंका जा सकता है और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैं/हम, प्रचलित बाजार हालात में, विदेश स्थित बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त करने की आशा करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम यहां उल्लिखित बैंक ________________________ में माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत निर्मित विनियमावली में निर्दिष्ट तरीके से _______________________@ को/तक सुपुर्द कर दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम भारत में रहता हूं/रहते हैं और भारत में मेरा/हमारा व्यवसाय का एक स्थान है ।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधान सूची में हूं/हैं अथवा नहीं हूं/नहीं हैं ।

____

तारीख : (निर्यातक के हस्ताक्षर)

@ सुपुर्दगी की सही तारीख बतायें जो भुगतान की नियत तारीख हो अथवा पोत-लदान की तारीख से छह महीने के अन्दर की तारीख होनी चाहिए, सिर्फ भारत से बाहर स्थित गोदामों को रिज़र्व बैंक की अनुमति से किये गये निर्यातों के लिए सुपुर्दगी की तारीख 15 महीने के अन्दर होनी चाहिए ।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए

एक समान कूट सं. ___________

i) सौदे की तारीख ____________________________

ii) वसूली के लिए प्राप्ति की तारीख ________________

iii) बिल सं.______________ की तारीख ___________

* बिल के प्रकार (i) डीए ☐ (ii) डीपी ☐ (iii) अन्य ☐ ________________ (निर्दिष्ट करें)

* पोत-लदान के प्रकार (i) पक्का बिक्रय संविदा ☐ (ii) माल परेषण आधार ☐
(iii) अन्य ☐ ____________(निर्दिष्ट करें)

* लागू बॉक्स में (□) निशान लगाएं

______________ को समाप्त पखवाड़े के लिए दिनांक ______________ को प्रेषित 'आर-विवरणी' के साथ रिज़र्व बैंक को प्रेषित विवरण में एसडीएफ फार्म शामिल था ।

हम यह प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म में घोषित निर्यात की प्राप्तियों के रूप में हमने निम्नानुसार _______________ (मुद्रा) (राशि) की कुल राशि प्राप्त की है ।

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	_________________ (देश) में नोस्ट्रो खाते में जमा		________________ (देश) में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		'आर -विवरणी' की वह अवधि जिसमें रिज़र्व बैंक को वसूली सूचित की गयी है ।
		हमारे नाम में	** के नाम में	हमारे पास रखा	** के पास रखा	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (स्पष्ट करें) __________________________

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख : _____________________

पता : ______________________

____

रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान

फार्म : पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

(निर्यातक की घोषणा)

मूल

फार्म सं. :

(कृपया अगले पृष्ठ पर "निर्यातकों को नोट" देखें)

1.*(क)* डाकघर का नाम

(ख) पार्सल रसीदों की संख्या और तारीख

2. निर्यातक का नाम (भारिबैंक के प्रयोग के लिए)

3. आयातक/निर्यातक की कूट संख्या

4. क्रेता/परेषिती का नाम और पता

5. गंतव्य देश

6. संविदा का स्वरूप * (i) सीआइएफ/ (ii)सीएण्डएफ/ (iii),एफओबी/(iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)

7. प्रेषण की तारीख

8. पोतलदान का प्रकार * (i) सीधे बिक्री/ (ii) प्रेषण निर्यात/(iii)अन्य निर्दिष्ट करें

9. माल का ब्योरा

10. माल की मात्रा : यूनिट G … … मात्रा… …

11. बीजक की करेंसी

G टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/अन्य (निर्दिष्ट करें)

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए ।	12.निर्यात मूल्य का विश्लेषण		
		ब्योरे @ सकल निर्यात मूल्य	करेंसी	राशि
	इस फॉर्म में घोषित किए बिना प्रेषण/एजेंसी कमीशन की वजह से घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिज़र्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।	एफओबी मूल्य		
		किराया		
		बीमा		
		□छूट (दर)		
		□एजेंसी कमीशन (दर…)		
* देखें एफईएम (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000				

(सीमा शुल्क के प्रयोगार्थ) निर्यात मूल्य सत्यापित (सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता)

13. निर्धारित सीमाशुल्क मूल्य (रुपये)

14. यदि निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख
15. यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक
16. यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखे :* हां/नहीं
17. बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है ।

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके विक्रेता/परेषक हूं/हैं और उपर्युक्त ब्योरे सत्य हैं और यह कि * (क) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (ख) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाज़ार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाज़ार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है ।

मैं/हम वचन देता/देते हूं/हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रूल्स 1974 के नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त नामांकित बैंक को दिनांक +______________________ को या उससे पहले सुपुर्द कर दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैं/हम भारत के निवासी हूं/हैं और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है ।

मैं/हम* भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधानी सूची में हूं/हैं/नहीं हूं/नहीं हैं ।

\+ सुपुर्दगी की वह लगभग तारीख बताएं जो भुगतान की देय तारीख हो अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

	(प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए)
	प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर
	तारीख
	बैंक की समरूप कूट सं.

(निर्यातक के हस्ताक्षर)
तारीख
पता

निर्यातकों के लिए टिप्पणी :

1.	इस फार्म को पार्सल पर न चिपकाया जाए ।
2.	पीपी फार्म की क्रियाविधि नेपाल और भुटान को छोड़कर भारत के बाहर सभी क्षेत्रों को किए जाने वोल पोस्टल निर्यात पर लागू होंगे।
3	इसकी मूल प्रति निर्यात द्वारा उस पर विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी से प्रतिहस्ताक्षर होने के बाद डाकघर को प्रस्तुत की जाए। डाकघर जिसके माध्यम से माल भेजा गया है वह उसे अपने नज़दीकी भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय को भेजेगा।

4.	भारत से निर्यात किए गए माल से संबंधित सभीदस्तावेज़ भारत में माल के पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित किए जाएं।
5.	माल के सकल निर्यात मूल्य की रकम की वसूली भुगतान के लिए नियत तारीख को अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने की भीतर, जो भी पहले हो, हो जानी चाहिए।
टिप्पणी	भारत सरकार/भारतीय वित्तीय संस्थाएं निर्दिष्ट तरीकों से, देशों से कतिपय भुगतानों के निपटान हेतु अथवा सरकार से सरकार को ऋण के माध्यम से वित्तपोषित निर्यात हेतु समय-समय पर अन्य देशों के साथ विशेष व्यापार समझौते का निर्णय लेसकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी व्यवस्था की सूचनाप्राधिकृत व्यापारियों को परिपत्र जारी करके देगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में निर्दिष्ट भुगतान-प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के स्थान	

फार्म : पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

(निर्यातक की घोषणा)

दूसरी प्रति

फार्म सं. :

(अगले पृष्ठ पर "नियातकों को नोट" देखें)

1.(क)	डाकघर का नाम	(भारिबैंक के प्रयोग के लिए)
(ख)	पार्सल रसीदों की संख्या और तारीख	
2.	निर्यातक का नाम	
3.	आयातक/निर्यातक की कूट संख्या	
4.	क्रेता/परेषिती का नाम और पता	
5.	गंतव्य देश	
6.	संविदा का स्वरूप * (i) सीआइएफ/ (ii)सीएण्डएफ/ (iii),एफओबी/(iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)	
7.	प्रेषण की तारीख	
8.	पोतलदान का प्रकार * (i) सीधे बिक्री/ (ii) परेषण निर्यात/(iii)अन्य निर्दिष्ट करें	
9.	माल का ब्योरा	
10.	माल की मात्रा : यूनिट ✧ ... ... मात्रा... ...	
11.	बीजक की करेंसी	
	✧ टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/अन्य (निर्दिष्ट करें)	

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए ।		12.	निर्यात मूल्य का विश्लेषण		
			ब्योरे	करेंसी	राशि	
			@ सकल निर्यात मूल्य			
♎	इस फॉर्म में घोषित किए बिना प्रेषण/एजेंसी कमीशन की वजह से घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिजर्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।	एफओबी मूल्य				
		किराया				
		बीमा				
		♎ छूट (दर)				

		Ω एजेंसी कमीशन (दर...)				

(सीमा शुल्क के प्रयोगार्थ) निर्यात मूल्य सत्यापित (सीमा शुल्क नियत कार्य)	13 निर्धारित सीमाशुल्क मूल्य (रुपये)

14. यदि निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख
15. यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक
16. यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखे :* हां/नहीं
17. बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके विक्रेता/परेषक हूं/हैं और उपर्युक्त ब्योरे सत्य हैं और यह कि * (क) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (ख) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाज़ार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाज़ार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है ।

मैं/हम वचन देता/देते हूं/हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रूल्स 1974 के नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त नामांकित बैंक को दिनांक +______________________ को या उससे पहले सुपुर्द कर दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैं/हम भारत के निवासी हूं/हैं और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है ।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधानी सूची में हूं/हैं/नहीं हूं/नहीं हैं ।

\+ सुपुर्दगी की वह लगभग तारीख बताएं जो भुगतान की देय तारीख हो अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

(प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए) प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर तारीख बैंक की समरूप कूट सं.

(निर्यातक के हस्ताक्षर)
तारीख
पता

टिप्पणी भारत से निर्यात किये गये माल से संबंधित सभी दस्तावेज, माल के पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर भारत में विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित किए जाएं ।

प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए

समरूप कूट सं.-------------

* (i) समझौता/ (ii) बिल सं. --------------की---------------वसूली रसीद तारीख

* जो लागू न हो उसे काट दें	बिल का प्रकार * डीए/ (ii) डीपी/ (iii) अन्य ----------- पोतलदान का प्रकार * (i) फर्म विक्रय संविदा/ (ii) परेषण आधार पर/ (iii)अन्य (निर्दिष्ट करें) पीपी फॉर्म, रिज़र्व बैंक को ------------------ को समाप्त पखवाड़े की भेजी गई आर विवरणी के ब्योरे के साथ दिनांक -------------- को भेज दिया गया ।

हम प्रमाणित तथा पुष्टि करते हैं कि हमें इस फार्म में घोषित निर्यात आगम की कुल राशि ----------------- (मुद्रा) -------------राशि निम्नानुसार प्राप्त हुई ।

प्राप्ति दिनांक	करेंसी	______(देश) में नॉस्ट्रो खाते में जमा		_______ (देश) में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		आर विवरणी की अवधि जिसमें वसूली की सूचना निम्नलिखित को दी गयी
		हमारे नाम में	निम्न के नाम में ☿	हमारे पास धारित	निम्न के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(☿ भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें) । प्राप्ति का कोई अन्य तरीका (स्पष्ट करें)

(प्राधिकृत व्यापारी की मुहर तथा हस्ताक्षर)

दिनांक :
पता

प्राधिकृत व्यापारी के लिए टिप्पणी :

1. कृपया सुनिश्चित करें कि पीपी फ़ार्म के प्रथम पृष्ठ के सभी स्तंभ निर्यातक द्वारा भरे गए हों और जहाँ कहीं आवश्यक हो पोस्टल प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो।
2. इस फार्म में घोषित पोतलदान के पूर्ण निर्यात मूल्य की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी सीमा शुल्क अभिप्रमाणित पोतवाले के बीजक की प्रति के साथ विधिवत अभिप्रमाणित फार्म की यह दूसरी प्रति रिज़र्व बैंक कोभेजेगा। परेषण आधार पर किए गए पोतलदान के संबंध में वास्तव में वसूले गए प्राप्यों के समर्थन में मूल में परेषिती से प्राप्त लेखा बिक्री भी फार्म के इस प्रति के साथ भेजा जाए।
3. अगर कुल प्राप्त राशि फ़ार्म पर घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य से, बैंक प्रभार से इतर कारण से कम हो तो रिज़र्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी निदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को प्रदत्त अधिकार या कमी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति का संदर्भ और तारीख का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के स्थान

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की
और निर्यात किए गए सॉफ़्टवेयर पैकेज/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए घोषणा)

फॉर्म नं: एबी **मूल**

---

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआई केंद्र, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईंझेड/100 प्रतिशत ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो) के साथ संबंध सहित खरीदार का नाम और पता

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. क) क्या एसटीपीएल के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

   ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त अनुबद्ध है हाँ ☐ नहीं ☐

खण्ड - 'अ'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम एसटीपीआइ/वीएसएनएल/डॉट/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✔' चिह्न लगाएं)

	भारिबैं कूट संख्या
(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	
☐ डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्जन सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग	9 0 6
☐ सॉफ्टवेयर विकास	9 0 7
☐ सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज	9 0 8
☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 0 9
(ख) अन्य सॉफ्टवेयर	
☐ वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर	9 1 0
☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण

	मुद्रा	**राशि**
(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-		
i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य		
ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार		
(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)		
(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन, ...% की दर पर		
(घ) भा.रि.बैं. द्वारा यथा अनुमत अन्य कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
(ङ) वसूल की जाने वाली राशि (क +ख) - (ग +घ)		

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा (वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर चिह्न लगाएं)

☐ (क) साखपत्र के अंतर्गत

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता ____________________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या ________________

☐ (ख) बैंक गारंटी — (क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता ______________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या ________________

☐ (ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शमिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) — (क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता ______________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या ________________

खण्ड - 'आ'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

(क) निर्यात की तारीख : ________________________

(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : ________________________

(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

- रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि ________________________
- रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) ________________________

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) ________________________

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) ________________________

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है ________________________
प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं. _______________

खण्ड - 'इ'

16. **निर्यातक द्वारा घोषणा**

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के खरीदार हूं/हैं जिसके संबंध में घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ____________________ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् भुगतान की नियत तारीख अथवा बीजक की तारीख/एक माह के भीतर अंतिम बीजक की तारीख, जो भी पहले हो) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे ।

____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

मुहर

नाम : ________________________

पदनाम : ______________________

संलग्नक :

(1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]

(2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]

(3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

==

<u>सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी</u>

<u>(अर्थात् एसटीपीआई/ईपीज़ेड/एसईज़ेड) के उपयोग के लिए स्थान</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया हैं ।

स्थान :

दिनांक :

____

(सूचना तकनीकी मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/ ईपीज़ेड/ एसईज़ेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम : _________________________

पदनाम : _______________________

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा
और सॉफ्टवेयर पैकेजेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

फॉर्म नं: एबी **अनुलिपि**

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआइ केंद्र, जिसके
क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईज़ेड/100 प्रतिशत ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश का नाम और
निर्यातक इकाई (यदि कोई हो)
के साथ संबंध सहित
खरीदार का नाम और पता,

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. क) क्या एसटीपीएल के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त अनुबद्ध है हाँ ☐ नहीं ☐

खण्ड - 'अ'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम एसटीपीआइ/वीएसएनएल/डॉट/इंटरनेट/अन्य
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✔' चिह्न लगाएं)

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर — भारिबैं कूट संख्या

		भारिबैं कूट संख्या
☐	डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्जन सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग	9 0 6
☐	सॉफ्टवेयर विकास	9 0 7
☐	सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज	9 0 8
☐	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 0 9

(ख) अन्य सॉफ्टवेयर

☐	वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर	9 1 0
☐	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण — मुद्रा — राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन, ...% की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा यथा अनुमत अन्य कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि (क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा (वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर चिह्न लगाएं)

☐ (क) साखपत्र के अंतर्गत

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता ____________________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या __________________

☐ (ख) बैंक गारंटी (क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _______________

☐ (ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शमिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _______________

खण्ड - 'आ'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

(क) निर्यात की तारीख : _______________________

(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : _______________________

(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

- रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _______________________
- रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) _______________________

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _______________________

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) _______________________

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है _______________________

प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं. _______________

खण्ड - 'ड़'

16. **निर्यातक द्वारा घोषणा**

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के खरीदार हूं/हैं जिसके संबंध में घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ____________________ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् भुगतान की नियत तारीख अथवा बीजक की तारीख/एक माह के भीतर अंतिम बीजक की तारीख, जो भी पहले हो) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे ।

____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

मुहर

नाम : ________________________

पदनाम : ______________________

संलग्नक :

(1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]

(2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]

(3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

==

सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अर्थात् एसटीपीआई/ईपीज़ेड/एसईज़ेड) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया हैं ।

स्थान :

दिनांक :

____

(सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/ ईपीज़ेड/ एसईज़ेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम : ________________________

पदनाम : ______________________

प्राधिकृत व्यापारियों के उपयोग के लिए

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

प्राधिकृत व्यापारी की समरूप (यूनिफॉर्म) कूट सं. ____________________

_________________ को समाप्त अवधि के लिये ________________ संबंधी 'आर' विवरण (नास्ट्रो/वोस्ट्रो)
(मुद्रा का नाम) के साथ रिज़र्व बैंक को
भेजे गये ईएनसी विवरण में शामिल 'सॉफ्टेक्स फार्म', _____________

हम प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म पर घोषित निर्यातों की प्राप्तियों संबंधी निम्नलिखित _______________
हमें प्राप्त हो गयी है । (मुद्रा)
(राशि)

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	_____________ (देश) स्थित नास्ट्रों खाते में जमा		_____________ (देश) स्थित बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		'आर -विवरणी', जिसके साथ वसूली की सूचना भा.रि.बैं. को दी गयी, की अवधि
		हमारे नाम पर	** के नाम पर	हमारे पास धारित	** के पास धारित	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (स्पष्ट करें) ___________________________

____
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान : ____________

तारीख : ___________

मुहर

नाम : ______________________________

पदनाम : ______________________________

प्राधिकृत व्यापारी ________________________
का नाम और पता ______________________

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात
और सॉफ्टवेयर पैकेजेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए घोषणा)

फॉर्म नं: एबी **तीसरी प्रति**

---

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआई केंद्र, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईझेड/100 प्रतिशत ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो) तो उसके साथ संबंध सहित खरीदार का नाम और पता

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. क) क्या एसटीपीएल के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

   ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त निहित है हाँ ☐ नहीं ☐

खण्ड - 'अ'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम एसटीपीआइ/वीएसएनएल/डॉट/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✔' चिह्न लगाएं)

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | भारिबैं कूट संख्या

☐	डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्ज़न सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग	9 0 6
☐	सॉफ्टवेयर विकास	9 0 7
☐	सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज	9 0 8
☐	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 0 9

(ख) अन्य सॉफ्टवेयर

☐	वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर	9 1 0
☐	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण | मुद्रा | राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन, ...% की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत अन्य कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि (क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा (वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर '✓' चिह्न लगाएं)

☐ (क) साखपत्र के अंतर्गत

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता ____________________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _________________

☐ (ख) बैंक गारंटी

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता ______________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या ________________

☐ (ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शमिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता ______________

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या ________________

खण्ड - 'आ'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

(क) निर्यात की तारीख : ________________________

(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : ________________________

(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

- रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि ________________________

- रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) ________________________

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) ________________________

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) ________________________

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है ________________________

प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं. _______________

खण्ड - 'ड़'

16. निर्यातक द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के विक्रेता हूं/हैं जिसके अंतर्गत घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ____________________ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् भुगतान की नियत तारीख अथवा बीजक की तारीख/एक माह के भीतर अंतिम बीजक की तारीख, जो भी पहले हो) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे ।

____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

मुहर

नाम : ________________________

पदनाम : ______________________

संलग्नक :

(1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]

(2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]

(3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् एसटीपीआई/ईपीज़ेड/एसईज़ेड) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया हैं ।

स्थान :

दिनांक :

____

(सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/ ईपीज़ेड/ एसईज़ेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम : _________________________

पदनाम : ______________________

एक्सओएस

(पैरा 6. इ. 12)

प्रा.व्या. कूट क्रमांक :

निर्धारित/नियत तारीख के बाद वसूली के लिए बकाया निर्यात बिलों का 30 जून/31 दिसंबर का विवरण

भाग I - आस्थगित भुगतान की शर्तों के बिलों के अलावा अन्य बकाया निर्यात बिल

क्र.	बिल क्र. और तारीख	निर्यातक का नाम और पता	निर्यातक की कूट / आइ कूट क्र.	निर्यात तारीख	वसूली की नियत तारीख	जीआर/पीपी/ सॉफ्टेक्स फॉर्म क्र.	लदान पोर्ट	शिपिंग बिल क्र. और तारीख	समुद्रपारीय क्रेता का नाम और पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

पण्य	बीजक मूल्य	वसूली गई राशि	बकाया राशि	बकाया राशि का रुपया समतुल्य (निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाए)			टिप्पणी
	मुद्रा और राशि	मुद्रा और राशि	मुद्रा और राशि	नकद निर्यात	कन्साइनमेंट आधार पर निर्यात	अनाहरित शेष	
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
जोड़							

भाग II - आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात जहाँ पर किस्तें(ब्याज समेत) नियत तारीख के बाद बकाया हैं

क्र.	बिल क्र. और तारीख	निर्यातक का नाम और पता	आस्थगित भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की सं. और तारीख	निर्यात तारीख	जीआर फॉर्म क्र.	लदान पोर्ट	शिपिंग बिल क्र. और तारीख	समुद्र-पारीय क्रेता का नाम और पता	पण्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

बीजक मूल्य मुद्रा आर राशि	आस्थगित भुगतान की शर्त के अंतर्गत माल का मूल्य (ब्याज समेत)		आस्थगित किस्तों की कुल राशि जो प्राप्त हो चुकी है (ब्याज़ समेत)		नियत तारीख के बाद कुल बकाया किस्तों की राशि(ब्याज़ समेत)		बकाया राशि का रुपया समतुल्य	क्या ईसीजीसी रक्षा प्राप्त की गई है ? हां/नहीं	जारी बैंक प्रमाणपत्र की सं. व तारीख	टिप्पणी
	मुद्रा	राशि	मुद्रा	राशि	मुद्रा	राशि				
11.	12.		13.		14.		15.	16.	17.	18.

जोड़

भाग III : सारांश

	भाग I				**भाग II**
	'नकद' निर्यात	कन्साइनमेंट आधार निर्यात	अनाहरित शेष	जोड़	आस्थगित भुगतान आधार पर निर्यात
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए

------------को बकाया

____

(पिछली छमाही का अंत)

जोड़े :- रिपोर्ट की छमाही अवधि के दौरान जोड़

घटाएं : छमाही के दौरान हटाएं

-------को निवल बकाया

____

(रिपोर्ट की छमाही का अंत)

हम प्रमाणित करते हैं कि रिपोर्ट के तहत अर्धवर्ष के अंत की स्थिति में निर्धारित अवधि / नियत तारीख तक वसूली के लिए बकाया सभी निर्यात बिल अर्थात खरीदे गए निर्यात बिल, बेचान किए गए और उगाही के लिए भेजे गए, बिलों को शामिल किया गया है।

स्थान :

तारीख :

मुहर

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम :
पदनाम :

संलग्नक-3

(इ-15 स्वयं बट्टे खाते डालना और अवधि विस्तार)

(भाग - अ)

31 दिसंबर .... को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्यात कार्यनिष्पादन के ब्योरे देते हुए निर्यातकों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को प्रस्तुत किया जानेवाला वार्षिक विवरण

(राशि 000 रुपए में)

यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर देय कुल निर्यात प्राप्य जीआर/ सॉफ्टेक्स/ एसडीएफ/ पीपी फार्म की संख्या राशि	यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर वसूले गए कुल निर्यात प्राप्त जीआर/सॉफ्टेक्स/ एसडीएफ/पीपी फार्मों की संख्या राशि	यथा लागू 180 दिन अथवा अधिक अवधि की निर्धारित अवधि के अंदर नहीं वसूले गए निर्यात प्राप्त जीआर/ सॉफ्टेक्स/ एसडीएफ/ पीपी फार्मों की संख्या राशि
	पूर्णतः वसूले गए अंशतः वसूले गए	

(भाग आ)

(राशि 000 रुपए में)

निर्धारित अवधि में वसूले न गए निर्यात बिलों के ब्योरे (अंशतः या पूर्णतः) जीआर/ सॉफ्टेक्स/ एसडीएफ/पीपी सं. राशि	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ निर्यातक द्वारा स्वयं बट्टे खाते डालने के ब्योरे राशि संशोधित नियत तारीख @	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ प्राधिकृत व्यापारी से बट्टा मांगना राशि संशोधित निर्यात तारीख@
1	2	3
कुल		

टिप्पणी :

1. निर्यातक भाग आ में स्तंभ (3) में बिल के संबंध में समय विस्तार के लिए प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।
2. भाग आ में स्तंभ (2) में बिलों का कुल योग भाग अ के स्तंभ (1) में दिए गए के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. 2005 से आगे भाग अ के स्तंभ 1 के बिलों में वे बिल भी शामिल होंगे जिन्हें निर्यातक ने स्वयं अथवा प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से वसूली के लिए समय विस्तार दिया है।
4. बट्टे खाते डाले गए निर्यात बिलों के संबंध में (बीजक मूल्य में कटौती सहित) निर्यात प्रोत्साहन के अभ्यर्पण के सबूत संलग्न किए जाएं।

@विस्तार मामलों के लिए

निर्यातक के हस्ताक्षर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित

परिशिष्ट

माल और सेवाओं का निर्यात

क्रम सं.	परिपत्र सं	दिनांक
1.	ए.डी.(एमए सिरीज़) परिपत्र सं.15	मई 31, 1993
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	अगस्त 27, 2001
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	अगस्त 27, 2001
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	सितंबर 24, 2001
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	अक्तूबर 25, 2001
6.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	नवंबर 1, 2001
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	जनवरी 28, 2002
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	मार्च 26, 2002
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	अप्रैल 1, 2002
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	अप्रैल 1, 2002
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	अप्रैल 12, 2002
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	जून 27, 2002
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	जून 29, 2002
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.2	जुलाई 4, 2002
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 14, 2002
16.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	अगस्त 14, 2002
17.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	अगस्त 28, 2002
18.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	सितंबर 16, 2002
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	अक्तूबर 3, 2002
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	अक्तूबर 23, 2002
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	अक्तूबर 31, 2002
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	नवंबर 8, 2002
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.61	दिसंबर 14, 2002
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.62	दिसंबर 17, 2002
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.78	फरवरी 14, 2003
26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.91	अप्रैल 1, 2003
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.94	अप्रैल 26, 2003
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.100	मई 2, 2003
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.104	मई 31, 2003
30.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.105	जून 16, 2003
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	अगस्त 16, 2003
32.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	अगस्त 20, 2003
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	सितंबर 23, 2003
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22	सितंबर 24, 2003

35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	अक्तूबर 3, 2003
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	अक्तूबर 21, 2003
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	अक्तूबर 28, 2003
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	दिसंबर 5, 2003
39.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.61	जनवरी 31, 2004
40.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	फरवरी 11, 2004
41.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	फरवरी 20, 2004
42.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.94	जून 7, 2004
43.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.96	जून 15, 2004
44.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.97	जून 21, 2004
45.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	सितंबर 1, 2004
46.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	सितंबर 13, 2004
47.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	नवंबर 1, 2004
48.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	जनवरी 10, 2006
49.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31	अप्रैल 21, 2006
50.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	अप्रैल 21, 2006
51.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	नवंबर 30, 2006
52.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18	दिसंबर 4, 2006
53.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	जनवरी 8, 2007
54.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	फरवरी 28, 2007
55.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	अप्रैल 5, 2007